अनुपालन निगरानी रिपोर्ट

अमलगमेटेड प्लांटेशंस प्राइवेट लिमिटेड (APPL), भारत में IFC का निवेश

प्रोजेक्ट संख्या 25074 और 34562

23 जनवरी, 2019

कंप्लायंस एड्वाइज़र ओम्बड्समैन (CAO) का कार्यालय

कार्यकारी सारांश

2009 में, IFC ने अमलगमेटेड प्लांटेशंस प्राइवेट लिमिटेड (APPL, "क्लाइंट") में एक इक्विटी निवेश किया। APPL पूर्वोत्तर भारत में 25 चाय एस्टेट चलाता है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक और सप्लायर है। APPL में 30,000 से अधिक कामगार काम करते हैं और इसकी चाय एस्टेटों पर 155,000 लोग रहते हैं। जैसा कि IFC द्वारा रेखांकित किया गया है, इसके निवेश ने कामगार-शेयरधारक व्यापार मॉडल के लागूकरण का समर्थन करने और एक ऐसे उद्योग में मूलभूत परिवर्तन लाने का प्रयास किया, जिसे बड़ी निश्चित लागत, कम उत्पादकता और बोझ भरे विनियमों का सामना करना पड़ रहा है। IFC ने खुद को कर्मचारियों और मौजूदा शेयरधारकों के बीच "एक निष्पक्ष लेनदेन का समर्थन करने के लिए ईमानदार ग़ैरतरफ़दार ब्रोकर" के रूप में भी स्थित किया।

नवंबर 2016 में, CAO ने क्लाइंट में IFC के निवेश के संबंध में एक अनुपालन जांच जारी की।

जांच ने असम में तीन APPL एस्टेटों: हाटीगोर, माजुली और नाहोरानी, के कामगारों की ओर से तीन गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की शिकायत पर प्रतिक्रिया भी की। शिकायत में रहने और काम करने की परिस्थितियों, विशेष रूप से काम करने के लंबे घंटे, अपर्याप्त मुआवजे, मछली पालन कार्यक्रम के परिणाम-स्वरूप आर्थिक विस्थापन, संघ बनाने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, खराब स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, रहने की खराब परिस्थितियां और कीटनाशकों का उपयोग करने वाले कामगारों के लिए अपर्याप्त संरक्षण के बारे में चिंताएं व्यक्त की गईं। इस शिकायत ने कामगार शेयरधारक कार्यक्रम, और साथ ही IFC के चाय एस्टेटों पर काम करने वाले आदिवासी अल्पसंख्यकों पर अपनी 'स्वदेशी लोग' नीतियों को लागू न करने के संबंध में परामर्श की कमी के बारे में भी चिंताएं जताई गईं। इसके अलावा, अनुपालन जांच में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, संघ बनाने की स्वतंत्रता, और सरकारी सुरक्षा कामगारों पर क्लाइंट की निर्भरता के बारे में चिंताओं पर विचार किया गया, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय युनियनों की शिकायतों के बाद CAO उपाध्यक्ष द्वारा चिंता के मुद्दों के रूप में पहचाना गया था।

CAO अनुपालन जांच ने स्वीकार किया कि APPL में IFC का निवेश चुनौतीपूर्ण था, लेकिन क्लाइंट की कार्यबल की खराब और कमजोर स्थिति को देखते हुए इसमें विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रभाव की संभावना भी थी। इसी समय, CAO की जांच में IFC के द्वारा निवेश से जुड़े E&S जोखिम के आकलन और प्रबंधन के संबंध में गैर-अनुपालन को दर्ज किया गया। कामगारों की कमजोर स्थिति और कामगारों को कई बुनियादी सेवाएं प्रदान करने की क्लाइंट की जिम्मेदारी को देखते हुए, CAO ने पाया कि IFC की निवेश से पहले की E&S समीक्षा जोखिम के अनुरूप नहीं थी। इस समीक्षा में कमियों के परिणाम-स्वरूप शमन उपाय विकसित किए गए जिनका पर्याप्त ढंग से वर्णन नहीं किया गया था और जो जोखिम के प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान नहीं देते थे। पर्यवेक्षण के दौरान, CAO ने पाया कि IFC ने खुद को अपने प्रदर्शन मानकों के अनुपालन का आश्वासन नहीं दिया था। शिकायत में उठाए गए मुद्दों के संबंध में, CAO ने पाया कि IFC ने खुद को क्लाइंट द्वारा निम्नलिखित से संबंधित प्रदर्शन मानकों के अनुपालन का आश्वस्त नहीं किया: (a) कामगारों की रहने की परिस्थितियां; (b) मुआवजे की प्रथाएं; (c) संघ बनाने की स्वतंत्रता और शिकायत से निपटना; (d) बच्चों को रोजगार पर रखने के संबंध में जोखिम; (e) कीटनाशकों का उपयोग; (f) सुरक्षा के प्रति दृष्टिकोण; (g) आर्थिक विस्थापन; (h) स्वदेशी लोगों पर प्रोजेक्ट के प्रभाव; (i) कर्मचारी शेयर खरीद कार्यक्रम के बारे में परामर्श; और (j) प्रोजेक्ट के प्रभावों के संबंध में परामर्श।

CAO की अनुपालन जांच रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया में, IFC ने ध्यान दिया कि यह निवेश में ऐसी विशेषता थी जो इसका बोर्ड इसे करने के लिए क्या कह रहा था: "चुनौतीपूर्ण सीमांत परिवेशों में भागीदारियां करना जो संभावित रूप से विकास से संबंधित मज़बूत प्रभाव प्रदान करें लेकिन साथ ही जिनमें उच्च लागूकरण जोखिम भी हो।" IFC ने स्वीकार किया कि निवेश करने से पहले प्रासंगिक जोखिमों की पर्याप्त समीक्षा नहीं की गई और न ही प्रदर्शन मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी स्तर के सुधार करने से जुड़े लागत और समय सीमा की समीक्षा की

गई। IFC ने कहा कि क्लाइंट मानव स्वास्थ्य, कामगारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा, आवास और स्वच्छता के बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कमियों और विरासती मुद्दों को हल करने के लिए एक कार्य योजना को लागू कर रहा था। अपनी प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में, IFC ने एक मौजूदा क्लाइंट कार्य योजना का एक संशोधित संस्करण संलग्न किया और इसमें अतिरिक्त कार्यवाहियां शामिल की जिन्हें लागूकरणे की जिम्मेदारी IFC की थी। विशेष रूप से, IFC निम्नलिखित के लिए सहमत हुआ: (a) क्लाइंट की 25 एस्टेटों में वार्षिक ऑडिट और कामगार धारणा सर्वेक्षण करने के लिए एक तीसरे पक्ष को नियुक्त करना; (b) क्लाइंट द्वारा राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी आवश्यकताओं के अनुपालन पर अपनी कानूनी राय को अपडेट करना; और (c) यह सुनिश्चित करना कि कार्य योजना का खुलासा किया जाए और इस पर कामगारों के साथ परामर्श किया जाए।

यह रिपोर्ट CAO के गैर-अनुपालन निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया के रूप में IFC द्वारा की गई कार्रवाइयों को दर्ज करती है। इसे (a) IFC के प्रोजेक्ट दस्तावेज़ों की समीक्षा; और (b) IFC के स्टाफ, शिकायतकर्ताओं और क्लाइंट के साथ कॉलों के आधार पर तैयार किया गया था। इस निगरानी रिपोर्ट की तैयारी में क्षेत्र का दौरा नहीं किया गया था। भारत सरकार से मंजूरी के अधीन अगली निगरानी अवधि के दौरान क्षेत्र का दौरा किए जाने की उम्मीद है।

जैसा कि APPL द्वारा रिपोर्ट किया गया है, कई कार्य योजना प्रतिबद्धताओं के संबंध में प्रगति की गई थी जिनमें शामिल हैं शौचालयों की मरम्मत और अतिरिक्त पानी के बिंदु स्थापित करने, घरों के निर्माण और मरम्मत और अत्यधिक और उच्च खतरनाक कीटनाशकों को चरणबद्ध ढँग से समाप्त करने और मरम्मत और मछली पालन कार्यक्रम के परिणाम-स्वरूप आर्थिक विस्थापन प्रभाव। इसी समय, APPL ने सीमेंट की नालियों के निर्माण, एस्टेट कर्मचारी परिषदों की प्रभावशीलता, और एक सामान्य E&S प्रबंधन प्रणाली के लागूकरण में प्रगति की रिपोर्ट नहीं की या सीमित प्रगति दर्ज की।

अप्रैल 2018 में शिकायतकर्ताओं द्वारा CAO को प्रदान किए गए एक अपडेट में कहा गया है कि कार्य योजना पर कामगारों से परामर्श नहीं किया गया था, चाय एस्टेटों पर बुनियादी ढांचे में सुधार की प्रगति और गुणवत्ता के बारे में चिंता जताई और, क्लाइंट द्वारा संघ बनाने की स्वतंत्रता और मजदूरी पर PS2 आवश्यकताओं के अनुपालन के संबंध में गैर-अनुपालन का आरोप लगाया। इसके अलावा, शिकायतकर्ता दावा करते हैं कि CAO को उनकी शिकायत के परिणाम-स्वरूप उन्हें लगातार धमकियां दी जाती है और फटकार लगाई जाती है। शिकायतकर्ता प्रतिनिधियों का आरोप है कि क्लाइंट प्रबंधन, अपनी आवाज उठाने वाले कामगारों को धमकी के रूप में नौकरी के चले जाने और एस्टेट के बंद हो जाने की संभावनाओं का उल्लेख करता है। शिकायतकर्ताओं ने ध्यान दिया है कि जब TGB ने क्लाइंट में अपनी हिस्सेदारी को बेचने पर चर्चा की, तो क्लाइंट प्रबंधन ने सुझाव दिया कि CAO के पास उठाई जा रही शिकायतों के परिणाम-स्वरूप TGB और IFC अपना फंड वापस ले रहे हैं।

क्लाइंट कार्य योजना के तहत बताए गए उपायों को ध्यान में रखते हुए, CAO को पता चला है कि IFC के पर्यवेक्षण ने इसके गैर-अनुपालन निष्कर्षों पर संतोषजनक ढंग से ध्यान नहीं दिया है। नवंबर 2016 में CAO की जांच रिपोर्ट जारी होने के बाद से, IFC ने एक क्लाइंट द्वारा तैयार की गई वार्षिक निगरानी रिपोर्ट (AMR, 2017-2018) की मसौदा समीक्षा पूरी की। इसके पहले AMR (2016-2017) के संबंध में समीक्षा और क्लाइंट को फीडबैक के सबूत मौजूद नहीं हैं। IFC ने जनवरी 2017 और सितंबर 2018 में क्लाइंट के साइट पर्यवेक्षण दौरे पूरे किए, हालांकि, लिखे जाने के समय इन यात्राओं की रिपोर्टों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। इसके अलावा, IFC ने CAO की जांच रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया में शामिल प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया। विशेष रूप से, IFC ने (a) क्लाइंट की 25 एस्टेटों में वार्षिक ऑडिट और कामगार धारणा सर्वेक्षण करने के लिए एक तीसरे पक्ष को नियुक्त नहीं किया; (b) क्लाइंट द्वारा राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी आवश्यकताओं के अनुपालन पर अपनी कानूनी राय को अपडेट नहीं किया; या (c) यह सुनिश्चित नहीं किया कि क्लाइंट के बोर्ड द्वारा मंजूरी दिए जाने से पहले कार्य योजना का खुलासा किया जाए और इस पर कामगारों के साथ परामर्श किया जाए। जैसा कि मूल जांच में प्रस्तुत किया गया है, CAO इस बात से चिंतित है कि IFC के द्वारा प्रोजेक्ट का जारी पर्यवेक्षण, क्लाइंट के द्वारा प्रदर्शन मानकों के अनुपालन का आकलन करने के

लिए ज़रूरी जानकारी को विकसित करने और बनाए रखने में लगातार पीछे रह गया है। परिणाम-स्वरूप, IFC के पास यह आश्वासन नहीं है कि क्लाइंट प्रदर्शन मानकों का अनुपालन प्राप्त करने के लिए सही रास्ते पर है।

इस निवेश के जरिए IFC की स्थिरता नीति और प्रदर्शन मानकों की प्रतिबद्धताओं को पूरा करना चुनौतीपूर्ण रहा है। CAO जांच में उठाए गए कई मुद्दे क्लाइंट के लिए विशेष नहीं हैं। बल्कि, जैसा कि IFC टिप्पणी करता है, वे "भारत में [चाय] क्षेत्र को परेशान करने वाले 150 साल पुरानी विरासत के कुछ मुद्दों को उजागर करते हैं, जिन पर तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है।" क्लाइंट टिप्पणी करता है कि हाल के वर्षों में वित्तीय घाटे के कारण कार्य योजना के लागूकरण में बाधा आई है और उससे अधिक पूंजी की आवश्यकता है जितनी कि वर्तमान में उपलब्ध है। क्लाइंट ने वित्तीय वर्ष 2015 से वित्तीय घाटे की सूचना दी है। इसी समय, शिकायतकर्ताओं ने ध्यान दिया कि निरंतर गैर-अनुपालन के कारण रोज़गार का एक ऐसा सिस्टम जारी रहता है जिसके कामगारों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य और भलाई पर अच्छी तरह से दस्तावेज़ित नकारात्मक प्रभाव हैं। जैसा कि 2018 की वार्षिक जनरल मीटिंग में क्लाइंट के अध्यक्ष द्वारा पहचाना गया है, भारत के पूर्वोत्तर में चाय उत्पादन व्यवसाय की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उद्योग में व्यापक सुधार की ज़रूरत है। ये ऐसी परिस्थितियां हैं जहां IFC, सरकार, विश्व बैंक और अन्य विकास सहयोगियों के साथ मिलकर सकारात्मक भूमिका निभा सकती है।

CAO के बारे में

CAO का मिशन है एक निष्पक्ष, विश्वसनीय और प्रभावी स्वतंत्र सहारा तंत्र के रूप में सेवा देना और IFC और MIGA की पर्यावरणीय और सामाजिक जवाबदेही में सुधार लाना।

CAO (कंप्लायंस एड्वाइज़र ओम्बड्समैन का ऑफिस) एक स्वतंत्र पद है जो सीधे विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष को रिपोर्ट करता है। CAO, विश्व बैंक समूह की दो निजी क्षेत्र शाखाओं, इंटरनेशनल फाइनांस कार्पोरेशन (IFC) और मल्टीलेटरल इनवेस्टमेंट गारंटी एजेंसी (MIGA) द्वारा हाथ में लिए गए प्रोजेक्टों से प्रभावित समुदायों की शिकायतों की समीक्षा करता है।

CAO के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया www.cao-ombudsman.org पर जाएं

विषय-सूची

भूमिका 7
पृष्ठभूमि 7
IFC की प्रतिक्रिया, क्लाइंट की कार्रवाइयां और IFC की निगरानी 9
शिकायतकर्ता की प्रस्तुति 12
CAO विश्लेषण 13
निष्कर्ष 28
अनुलग्नक A - IFC कार्य योजना ताज़ा जानकारी का सारांश 29
अनुलग्नक B - सॉलिडारिडाड के 2014 और 2017 के निष्कर्षों का सारांश 38

भूमिका

CAO का अनुपालन विभाग IFC/MIGA के पर्यावरणीय और सामाजिक (E&S) प्रदर्शन की जांच की निगरानी करता है ताकि प्रासंगिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और संस्थानों के E&S प्रदर्शन में सुधार हो सके।

एक CAO अनुपालन जांच के बाद, CAO, IFC/MIGA द्वारा की गई कार्रवाइयों पर नज़र रखता है जब तक कि ऐसी कार्रवाइयाँ CAO को आश्वस्त नहीं करती हैं कि उसके अनुपालन निष्कर्षों पर ध्यान दिया जा रहा है।

CAO की निगरानी IFC/MIGA द्वारा किए गए या प्रस्तावित कार्यों पर केंद्रित करती है जो प्रोजेक्ट स्तर पर CAO निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया करते हैं। यह विश्लेषण यह आकलन करने के लिए तैयार किया गया है कि क्या CAO द्वारा पहचाने गए प्रोजेक्ट स्तर के गैर-अनुपालन पर ध्यान दिया गया है या नहीं।

यह CAO द्वारा अमलगमेटेड प्लांटेशंस प्राइवेट लिमिटेड (APPL, "क्लाइंट") में IFC के निवेश की जाँच के बाद CAO की पहली निगरानी रिपोर्ट है।[1] CAO की अनुपालन जांच रिपोर्ट को सितंबर 2016 में अंतिम रूप दिया गया था और नवंबर 2016 में IFC की आधिकारिक प्रतिक्रिया के साथ जारी किया गया था। यह रिपोर्ट अक्तूबर 2016 - सितंबर 2018 की अवधि से अनुपालन जांच के लिए IFC की प्रतिक्रिया को दस्तावेज़ित करती है। इस निगरानी रिपोर्ट को तैयार करने में, CAO टीम (CAO स्टाफ और एक बाहरी विशेषज्ञ) ने: (a) IFC के प्रोजेक्ट दस्तावेज़ों की समीक्षा की; और (b) IFC के स्टाफ, शिकायतकर्ताओं और क्लाइंट के साथ कॉलें की। इस निगरानी रिपोर्ट की तैयारी में क्षेत्र का दौरा नहीं किया गया था। अगली निगरानी अवधि के दौरान क्षेत्र का दौरा किए जाने की उम्मीद है जिसके लिए भारत सरकार की मंजूरी लंबित है।

यह रिपोर्ट निम्नलिखित चीज़ें प्रदान करती है: i) मामले की पृष्ठभूमि; ii) CAO जांच रिपोर्ट पर IFC की प्रतिक्रिया का सारांश, क्लाइंट की कार्रवाइयां और IFC द्वारा क्लाइंट की निगरानी; iii) शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत जानकारी का सारांश; iv) CAO का अनुपालन विश्लेषण; और v) CAO निगरानी रिपोर्ट के निष्कर्ष।

पृष्ठभूमि

यह खंड भारतीय चाय क्षेत्र, IFC के क्लाइंट, IFC के निवेश, CAO के अनुपालन मामलों और CAO के जांच निष्कर्षों की पृष्ठभूमि प्रदान करता है।

भारतीय चाय क्षेत्र

भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चाय क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा निजी नियोक्ता है जिसका उत्पादन मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों असम और पश्चिम बंगाल में और कुछ हद तक दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु और केरल में होता है।[2]

पूर्वोत्तर भारत में अधिकांश चाय कामगार अन्य भारतीय राज्यों के आदिवासी समुदायों के वंशज हैं, जिन्हें भारत के औपनिवेशिक काल में बंधुआ या जबरन मज़दूर के रूप में चाय एस्टेटों पर लाया गया था। उन्होंने भाषा और रीति-रिवाजों सहित एक अलग सामाजिक पहचान बना कर रखी है, जो असम और पश्चिम बंगाल की स्थानीय आबादी से अलग है। चाय के बागानों में नौकरियां पारंपरिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती हैं। चाय बागानों के बाहर शिक्षा या आर्थिक अवसर तक सीमित पहुँच होने के कारण, चाय कामगार अपने नियोक्ताओं पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं।[3]

[1] CAO जांच, जांच के लिए IFC की आधिकारिक प्रतिक्रिया, और संबंधित सामग्री CAO की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। https://goo.gl/qw4j9Q और https://goo.gl/dEkknb देखें।

[2] मिश्रा, उपाध्याय, और सरमा 2012. भारत चाय बोर्ड के आँकड़े, http://goo.gl/WGZVVr भी देखें।

[3] बहल, राणा। 2006. *औपनिवेशिक शासन के तहत असम चाय बागानों में शक्ति संरचना, अनुशासन और श्रम।* https://goo.gl/brl7mQ।

IFC का क्लाइंट

APPL भारत में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और सप्लायर है। यह असम में 21 और पश्चिम बंगाल में 4 चाय बागान चलाता है। इसमें 31,000 स्थायी कामगार हैं, जिनमें से आधी महिलाएं हैं।[4] इसके अतिरिक्त, क्लाइंट के पास 11,000 से अधिक अस्थायी कामगार काम करते हैं। भारतीय कानून के तहत, क्लाइंट के लिए स्थायी कामगारों और उनके आश्रितों को आवास, पीने योग्य पानी, स्वच्छता सुविधाएं, चिकित्सा देखभाल और बुनियादी शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है। क्लाइंट पुष्टि करता है कि, जिस दौरान अस्थायी कामगार अनुबंध के तहत होते हैं, यह आवास के अपवाद के साथ इन्हें समान लाभ प्रदान करता है। कर्मचारियों और उनके आश्रितों की गिनती करते हुए, क्लाइंट 155,000 से अधिक लोगों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।[5]

IFC का निवेश

अक्तूबर 2006 में, IFC ने क्लाइंट में 20 प्रतिशत इक्विटी निवेश को मंजूरी दी। निवेश का उद्देश्य एक स्थायी कर्मचारी के स्वामित्व वाले बागान मॉडल के लागूकरण का समर्थन करना था, जिसमें कर्मचारियों को APPL में शेयर खरीदने का अवसर प्रदान किया गया था। इस प्रोजेक्ट में IFC की भागीदारी के औचित्य में शामिल हैं: (a) एक अभिनव व्यापार मॉडल का समर्थन करना जिसमें एक ऐसे उद्योग में मौलिक बदलाव लाने की क्षमता थी जो बड़ी निश्चित लागतों, कम उत्पादकता और बोझिल नियमों का सामना करता था; (b) कर्मचारियों और मौजूदा शेयरधारकों, दोनों के लिए उचित लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए एक ईमानदार निष्पक्ष ब्रोकर के रूप में काम करने का अवसर; और (c) अतिरिक्त पूंजी जुटाने में क्लाइंट की सहायता करने का अवसर।[6]

अप्रैल 2009 में, IFC ने अपनी पहली अदायगी पूरी की।[7] फरवरी 2014 में, IFC ने एक इक्विटी राइट्स इश्यू में भाग लिया। मार्च 2018 तक, IFC के पास APPL में 15.75 प्रतिशत इक्विटी थी।

CAO के अनुपालन के मामले

2011 में, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फूड वर्कर्स (IUF) ने APFC चाय एस्टेट पर कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियनों की चिंताओं को रेखांकित करते हुए IFC को शिकायत की। अगस्त 2009 में हुई एक घटना ("पहला हादसा") से संबंधित शिकायत, जब पश्चिम बंगाल में क्लाइंट के नोवेरा नड्डी एस्टेट में एक गर्भवती चाय कामगार बेहोश गई, कथित तौर पर मातृत्व अवकाश के लिए अनुरोध करने के बाद। इस घटना के कारण एक मज़दूर विवाद हुआ, जिसके परिणाम-स्वरूप दो तालाबंदी हुई, जो कुल तीन महीने तक चली। एक अलग सार्वजनिक रिपोर्ट में, IUF ने एक और घटना ("दूसरा हादसा") का वर्णन किया जो मई 2010 में असम के क्लाइंट पवई एस्टेट में हुई थी। इस मामले में, एक कामगार बेहोश हो गया और उसकी मृत्यु हो गई, कथित तौर पर कीटनाशकों के संपर्क में आने के कारण। इस घटना के कारण विरोध प्रदर्शन हुआ और पुलिस के साथ झड़प हुई जिसके परिणाम-स्वरूप दो प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और 16 अन्य घायल हो गए। इसके बाद, 2012 में CAO के वाइस प्रैजिडेंट ने APPL में IFC के निवेश के संबंध में एक अनुपालन मूल्यांकन शुरू किया। जनवरी 2013 में एक अनुपालन मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया था कि APPL में IFC के निवेश के लिए एक अनुपालन जांच की आवश्यकता थी।

फरवरी 2013 में, CAO को असम में तीन APPL एस्टेटों: हाटीगोर, माजुली और नाहोरानी, के कामगारों की ओर से तीन गैर सरकारी संगठनों (NGO) से शिकायत मिली। शिकायत में रहने और काम करने की परिस्थितियों, विशेष रूप

[4] APPL वेबसाइट,n.d, *2 मिनट में APPL को जानें*/ https://goo.gl/PTDg4xपर उपलब्ध है।

[5] जांच पर IFC की आधिकारिक प्रतिक्रिया।

[6] IFC, 2006, प्रस्तावित निवेश का सारांश जो http://goo.gl/y6gkTi पर उपलब्ध है।

[7] IFC, 2006, प्रस्तावित निवेश का सारांश।

से काम करने के लंबे घंटे, अपर्याप्त मुआवजे, मछली पालन कार्यक्रम के परिणाम-स्वरूप आर्थिक विस्थापन, संघ बनाने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, खराब स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, रहने की खराब परिस्थितियां और कीटनाशकों का उपयोग करने वाले कामगारों के लिए अपर्याप्त संरक्षण के बारे में चिंताएं व्यक्त की गईं। इस शिकायत ने शेयर (भागीदारी) कार्यक्रम के साथ-साथ IFC के चाय एस्टेटों पर काम करने वाले आदिवासी अल्पसंख्यकों पर अपनी 'स्वदेशी लोग' नीतियों को लागू न करने के संबंध में परामर्श की कमी के बारे में भी चिंताएं जताई गईं।[8]

CAO की जांच के निष्कर्ष

नवंबर 2016 में, CAO ने अपनी जांच रिपोर्ट जारी की। CAO ने स्वीकार किया कि APPL में IFC का निवेश एक चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इसमें विकास के महत्वपूर्ण प्रभाव की संभावना भी थी। इसी समय, CAO की जांच में IFC के द्वारा निवेश से जुड़े E&S जोखिम के आकलन और प्रबंधन के संबंध में गैर-अनुपालन को दर्ज किया गया। कामगारों की कमजोर स्थिति और कामगारों को कई बुनियादी सेवाएं प्रदान करने की क्लाइंट की जिम्मेदारी को देखते हुए, CAO ने पाया कि IFC की निवेश से पहले की E&S समीक्षा जोखिम के अनुरूप नहीं थी। इस समीक्षा में कमियों के परिणाम-स्वरूप शमन उपाय विकसित किए गए जिनका पर्याप्त ढंग से वर्णन नहीं किया गया था और जो जोखिम के प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान नहीं देते थे। पर्यवेक्षण के दौरान, CAO ने पाया कि IFC ने खुद को अपने प्रदर्शन मानकों के अनुपालन का आश्वासन नहीं दिया था। शिकायत में उठाए गए मुद्दों के संबंध में, CAO ने पाया कि IFC ने क्लाइंट द्वारा प्रदर्शन मानकों के अनुपालन का पर्याप्त पर्यवेक्षण नहीं किया: (a) कामगारों की रहने की परिस्थितियां; (b) मुआवजे की प्रथाएं; (c) संघ बनाने की स्वतंत्रता और शिकायत से निपटना; (d) बच्चों को रोजगार पर रखने के संबंध में जोखिम; (e) कीटनाशकों का उपयोग; (f) सुरक्षा के प्रति दृष्टिकोण; (g) आर्थिक विस्थापन; (h) चाय कामगारों पर IFC की स्वदेशी लोगों की आवश्यकताओं को लागू करना; (i) कर्मचारी शेयर खरीद कार्यक्रम के बारे में परामर्श; और (j) प्रोजेक्ट के प्रभावों के संबंध में परामर्श।

IFC की प्रतिक्रिया, क्लाइंट की कार्रवाइयां और IFC की निगरानी

IFC की प्रतिक्रिया

अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया में, IFC ने स्वीकार किया कि CAO की रिपोर्ट में कई स्वतंत्र संस्थानों और बाहरी हितधारकों के काम को दोहराया गया है, जिसमें चाय क्षेत्र को परेशान करने वाले कुछ 150 साल पुराने विरासती मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है, जिन पर तुरंत जोर देने की आवश्यकता है।[9]

IFC ने नोट किया कि इसने अपना निवेश चाय उद्योग के लिए बेहद मुश्किल समय में किया है। IFC का निवेश कुछ 30,000 नौकरियों का समर्थन करने की आशा के साथ किया गया था, जिस पर कामगार और उनके परिवार - 155,000 से अधिक लोग - आश्रित थे। IFC ने ध्यान दिया कि यह निवेश में ऐसी विशेषता थी जो इसका बोर्ड इसे करने के लिए क्या कह रहा था: "चुनौतीपूर्ण सीमांत परिवेशों में भागीदारी करना जो संभावित रूप से मजबूत विकास प्रभाव प्रदान करें लेकिन साथ ही जिनमें उच्च लागूकरण जोखिम भी हो।"[10]

IFC ने स्वीकार किया कि निवेश करने से पहले प्रासंगिक जोखिमों की पर्याप्त समीक्षा नहीं की गई और न ही प्रदर्शन मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी स्तर के सुधार करने से जुड़े लागत और समय सीमा की समीक्षा की गई। CAO की रिपोर्ट में उठाए गए अन्य मामलों से IFC असहमत था। IFC ने कहा कि उसे सॉलिडारिडाड द्वारा 2014 में किए गए तीसरे-पक्ष के ऑडिट की अखंडता पर संदेह नहीं था - यह देखते हुए कि सॉलिडारिडाड

[8] CAO की जांच।

[9] जांच पर IFC की आधिकारिक प्रतिक्रिया।

[10] *Ibid.*

ऑडिट ने कामगारों के संगठनों, मजदूरी, बाल मज़दूर से बचने और प्रकटीकरण/परामर्श के संबंध में किसी गैर-अनुपालन का हवाला नहीं दिया था। उसी समय, IFC ने क्लाइंट द्वारा राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी आवश्यकताओं के अनुपालन के बारे में अपनी कानूनी राय को ताज़ा करने के लिए सहमति जताई।

IFC ने स्वीकार किया कि क्लाइंट मानव स्वास्थ्य, कामगारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा, आवास और स्वच्छता के बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कमियों और विरासती मुद्दों को हल करने के लिए एक कार्य योजना को लागू कर रहा था। अपनी प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में, IFC ने क्लाइंट की मौजूदा कार्य योजना ("ड्राफ्ट कार्य योजना")[11] का एक संशोधित संस्करण संलग्न किया, जिसमें APPL और टाटा ग्लोबल बेवरेज्स (TGB) के अनुमोदन के अधीन अतिरिक्त कार्य शामिल थे। इनमें निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्धता शामिल थी: (a) APPL द्वारा ड्राफ्ट कार्य योजना का प्रचार किया जाए और कामगारों की प्रतिक्रिया ली जाए; (b) IFC और TGB द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा करने और क्लाइंट के 25 एस्टेटों में सुधार के उपायों और वित्तीय साक्षरता पर ध्यान देते हुए कार्य योजना के बारे में कामगारों धारणा का सर्वेक्षण करने के लिए एक तीसरे पक्ष को नियुक्त किया जाए; और (c) APPL के बोर्ड द्वारा कार्य योजना पर चर्चा की जाए और अप्रैल 2017 से पहले एक उपयुक्त बजट को मंजूरी दी जाए।

क्लाइंट की रिपोर्टें

मई 2018 में, APPL ने कार्य योजना लागूकरण पर अक्तूबर 2017 तक प्रगति अपडेट प्रकाशित किया।[12] APPL ने नोट किया कि इसने (a) अपने चाय एस्टेटों पर 10,000 से अधिक शौचालयों की मरम्मत की गई और अतिरिक्त पानी के स्थान स्थापित किए; (b) 139 नए घरों का निर्माण किया और 1,916 घरों की मरम्मत की; (c) श्रेणी 1a और 1b के कीटनाशकों के उपयोग को चरणबद्ध ढंग से समाप्त किया और कीटनाशक छिड़काव करने वालों के लिए 18 वॉश स्टेशन स्थापित किए; (d) मछली पालन कार्यक्रम के परिणाम-स्वरूप आर्थिक विस्थापन के मुद्दों का समाधान किया; और (e) 5,000 से अधिक शिकायतों को संभाला, जिनमें से 1,987 शिकायतों का समाधान नहीं किया। APPL ने निम्नलिखित से संबंधित कार्य योजना के मदों प्रगति की रिपोर्ट नहीं की या सीमित प्रगति दर्ज की: (a) सभी कामगार कॉलोनियों में सीमेंट नालियों का निर्माण; (b) 1,839 घरों में व्यक्तिगत बिजली मीटर का लागूकरण; (c) एस्टेट कर्मचारी परिषदों की प्रभावशीलता; (d) एक सामान्य E&S प्रबंधन प्रणाली का लागूकरण (जैसे APSITE)[13]; और (e) कामगारों के साथ शेयर कार्यक्रम और कार्य योजना के मसौदे पर परामर्श। सितंबर 2016 और अक्तूबर 2017 को रिपोर्ट की गई प्रगति के साथ प्रत्येक कार्य मद की तुलना के लिए अनुलग्नक A देखें।

CAO के साथ चर्चा में, APPL प्रबंधन ने कहा कि कार्य योजना को अक्तूबर 2016 में एक संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया था कि APPL को अपने लागूकरण में फंड के लिए शेयरधारकों से सहायता की ज़रूरत होगी। APPL प्रबंधन ने यह भी कहा कि हाल के वित्तीय घाटे ने कार्य योजना के पहलुओं को लागू करने की उनकी क्षमता को चुनौती दी है, जिसमें महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधनों, विशेष रूप से, बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता है। जैसा कि

[11] APPL इस कार्य योजना को प्रोजेक्ट उन्नती के रूप में संदर्भित करता है। क्लाइंट ने CAO के पास पुष्टि की कि "ड्राफ्ट कार्य योजना" पर अक्तूबर 2016 में APPL के बोर्ड द्वारा हस्ताक्षरित कर दिए गए थे। इसके बाद, CAO कार्य योजना शब्द का उपयोग करेगा।

[12] APPL, प्रोजेक्ट उन्नती अपडेट अक्तूबर 2017, https://goo.gl/vQc8H7 पर उपलब्ध है। IFC ने मार्च 2018 तक प्रक्रिया को नोट करने वाली एक ताज़ा रिपोर्ट मिली।

[13] अमलगमेटेड प्लांटेशन सिस्टम इंटीग्रेशन टूवर्ड्स एक्सीलेंस (APSITE) एक प्रोगात्मक एकीकृत E&S प्रबंधन प्रणाली है जिसमें APPL द्वारा लागू किए जाने वाले विभिन्न E&S मानक शामिल हैं।

सार्वजनिक रूप से बताया गया है कि APPL को वित्त वर्ष 2015 से 2018 में घाटा हुआ है और वित्तीय वर्ष 2017 और 2018 के लिए कोई लाभांश नहीं दिया है।[14]

सॉलिडारिडाड का आकलन, 2017

2017 में, टाटा ग्लोबल बेवरेज्स ने APPL के 25 चाय एस्टेटों में से दो में किए गए शोध के आधार पर "APPL कार्य योजना का स्वतंत्र आकलन" तैयार करने के लिए सॉलिडारिडाड[15] को नियुक्त किया। APPL ने अक्तूबर 2017 में अंग्रेजी में इस आकलन का सारांश प्रकाशित किया।[16] आकलन का उद्देश्य कार्य योजना की स्थिति लागूकरण की समीक्षा करना; एक अनाम कर्मचारी धारणा सर्वेक्षण चलाना; और सुधार के अवसरों की पहचान करना था। आकलन निम्नलिखित के आधार पर तैयार किया गया था: (a) डेस्क अनुसंधान; (b) क्षेत्र अनुसंधान; (c) अर्द्ध संरचित क्षेत्र साक्षात्कार; और (d) 1339 क्लाइंट द्वारा प्रदान किए गए लेबर क्वार्टरों में से 50 घरों का एक कामगार धारणा सर्वेक्षण करना।[17] आकलन दो चाय एस्टेटों पर किया गया था: नाहोरानी और नामरूप। सॉलिडारिडाड ने स्वीकार किया कि उसके आकलन ने APPL की 25 एस्टेटों की स्थिति के बारे में सबूत नहीं दिए।

सॉलिडारिडाड रिपोर्ट एक ऑडिट नहीं है और प्रासंगिक कानूनी या IFC प्रदर्शन मानकों की आवश्यकताओं के अनुसार क्लाइंट के प्रदर्शन का आकलन नहीं करता है।

दो चाय एस्टेटों की समीक्षा के आधार पर, सॉलिडारिडाड ने प्रगति के बारे में नोट किया: (a) कामगार एस्टेट कर्मचारी परिषदों (EEC) का लागूकरण; (b) कामगारों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) का प्रावधान; (c) शौचालयों की मरम्मत और पानी तक पहुंच; (d) डॉक्टर रोस्टर का लागूकरण; (e) प्रवास जागरूकता कार्यक्रम का लागूकरण; और (f) CAO को शिकायत में बतायी गई आर्थिक विस्थापन चिंताओं का समाधान। इसके अलावा, सॉलिडारिडाड ने नोट किया कि इसे क्लाइंट के बाल मज़दूरी से लाभान्वित होने के प्रमाण नहीं मिले। उसी समय, सॉलिडारिडाड ने नोट किया कि निम्नलिखित की ज़रूरत थी: (A) EECs में भाग लेने वाले कामगारों को प्रशिक्षण प्रदान करना; (b) कामगार आवास निर्माण और मरम्मत में वृद्धि; (c) एस्टेट की जल निकासी में सुधार; (d) नाहोरानी में व्यक्तिगत बिजली मीटर लागू करना; (e) कामगारों को निरंतर वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करना; और (f) सभी चाय एस्टेटों में E&S प्रबंधन प्रणाली लागू करनी। सॉलिडारिडाड रिपोर्ट में कहा गया है कि कामगार क्लाइंट की कार्य योजना के विवरण बताने में असमर्थ थे। सॉलिडारिडाड के 2014 और 2017 के आकलन निष्कर्षों के सारांश के लिए अनुलग्नक B देखें।

IFC प्रोजेक्ट पर्यवेक्षण

जनवरी 2017 में, IFC के वरिष्ठ प्रबंधन और स्टाफ ने क्लाइंट की चाय एस्टेट का दौरा किया। IFC ने इस यात्रा के बाद बैक टु ऑफिस (कार्यालय में वापस) रिपोर्ट तैयार नहीं की।

---

[14] APPL वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल 2014 - 31 मार्च 2015 की अवधि वित्तीय वर्ष 2015 है। APPL के पिछले वित्तीय प्रदर्शन के बारे में अधिक जानकारी द टेलीग्राफ इंडिया (https://goo.gl/eunaF9) और इंवेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड (https://goo.gl/6vTCke और https://goo.gl/iQu35g) पर उपलब्ध है।

[15] सॉलिडारिडाड एक अंतरराष्ट्रीय नागरिक समाज संगठन है। 2014 में, सॉलिडारिडाड को टाटा ग्लोबल बेवरेज द्वारा APPL चाय कामगारों के रहने और काम करने की स्थिति का आकलन करने के लिए नियुक्त किया गया था। सॉलिडारिडाड की रिपोर्ट में APPL चाय एस्टेटों पर प्रदर्शन में सुधार करने के लिए सिफारिश की एक श्रृंखला शामिल थी। https://goo.gl/itWj45 पर उपलब्ध है।

[16] सॉलिडारिडाड, 2017 APPL कार्य योजना का स्वतंत्र आकलन। https://goo.gl/itWj45 पर उपलब्ध है।

[17] नाहोरानी में, APPL के पास 915 लेबर क्वार्टर हैं। इस एस्टेट में, APPL के पास 1468 स्थायी कामगार हैं और व्यस्त सीजन के दौरान, अतिरिक्त 900 अस्थायी कामगारों को नियुक्त किया जाता है।
नामरूप में, APPL के पास 424 लेबर क्वार्टर हैं। इस एस्टेट में, APPL के पास 810 स्थायी कामगार हैं और The व्यस्त सीजन के दौरान, अतिरिक्त 750 अस्थायी कामगारों को नियुक्त किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए, APPL की वेबसाइट देखें, जो https://goo.gl/LBGg9f पर उपलब्ध है।

सितंबर 2016 में CAO की जांच रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के बाद से, IFC को क्लाइंट से दो वार्षिक निगरानी रिपोर्टें (AMR) प्राप्त हुईं: AMR 2016-2017 और AMR 2017-2018. ये रिपोर्टें इनके संबंध में एस्टेट स्तर का डेटा प्रदान करती हैं: (a) एस्टेट प्रमाणीकरण; (b) स्टाफ की क्षमता और प्रशिक्षण; (c) व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदर्शन; (d) कीटनाशक का उपयोग; (e) महत्वपूर्ण E&S घटनाएं; (f) आंतरिक और बाहरी संचार; और (g) शिकायतों से निपटना। अगस्त 2018 में, IFC ने 2017-2018 की रिपोर्ट का AMR समीक्षा का मसौदा तैयार किया। IFC ने नोट किया कि क्लाइंट द्वारा प्रदान किया गया एस्टेट स्तर का डेटा असंगत था और/या इसमें अंतराल शामिल थे। पूर्व IFC पर्यवेक्षण (फरवरी 2016) के समान, IFC ने नोट किया कि AMR प्रारूप को फिर से संशोधित करने की ज़रूरत है और इस पर आगामी पर्यवेक्षण यात्रा में क्लाइंट के साथ चर्चा की जाएगी। IFC ने क्लाइंट के प्रदर्शन को आंशिक रूप से असंतोषजनक निर्धारित किया। IFC ने जनवरी 2017 और सितंबर 2018 में क्लाइंट के साइट पर्यवेक्षण दौरे पूरे किए, हालांकि, लिखे जाने के समय इन यात्राओं की रिपोर्टों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

शिकायतकर्ता की प्रस्तुति

27 अप्रैल, 2018 को, शिकायतकर्ताओं ने CAO को संबोधित एक पत्र प्रकाशित किया।[18] शिकायतकर्ताओं ने अपने पत्र में दिए गए बयानों का समर्थन करने के लिए पत्र के लिए CAO को कई अनुलग्नक भी भेजे। शिकायतकर्ता दावा करते हैं कि IFC ने CAO के कई गैर-अनुपालन निष्कर्षों की अवहेलना की, और नोट करते हैं कि IFC ने CAO के निष्कर्षों पर विवाद करने के लिए 2014 की सॉलिडारिडाड की रिपोर्ट पर भरोसा किया। शिकायतकर्ता इस रिपोर्ट पर IFC की निर्भरता का विरोध करते हैं क्योंकि यह शिकायतकर्ताओं को जारी नहीं की गई थी जैसा कि PS1 द्वारा आवश्यक है और इसने क्लाइंट द्वारा IFC के प्रदर्शन मानकों के अनुपालन का आकलन नहीं किया था।

शिकायतकर्ता दावा करते हैं कि IFC निम्नलिखित में असफल रहा: a) सुनिश्चित करना कि कार्य योजना पर शिकायतकर्ताओं से परामर्श किया जाए; b) क्लाइंट के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष का चयन करना; c) सुनिश्चित करना कि कामगारों को शेयर कार्यक्रम के संबंध में पर्याप्त रूप से सूचित किया जाए; d) क्लाइंट की शिकायत तंत्र की समीक्षा करनी; e) यह सुनिश्चित करना कि क्लाइंट संघ बनाने की स्वतंत्रता, और मजदूरी के संबंध में PS2 आवश्यकताओं का अनुपालन करता था; f) यह सुनिश्चित करना कि IFC के स्वदेशी लोगों की आवश्यकताओं के आवेदन पर एक विशेषज्ञ विश्लेषण किया गया था; g) आवास और स्वच्छता में सुधार के बारे में क्लाइंट द्वारा कार्य योजना को लागू किए जाने की समीक्षा करनी; और h) सुनिश्चित करना कि क्लाइंट एक सुरक्षित कार्य वातावरण और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच प्रदान करे। इस अंतिम बिंदु पर, शिकायतकर्ताओं ने मार्च 2016 और जनवरी 2018 के बीच सात उदाहरणों को दर्ज किया, जहां वे व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति क्लाइंट के खराब पद्धति का आरोप लगाते हैं, जिसके परिणाम-स्वरूप कामगारों और उनके आश्रितों की मृत्यु हुई और वे घायल हुए।[19] इसके अलावा, शिकायतकर्ता दावा करते हैं कि CAO को उनकी शिकायत के परिणाम-स्वरूप उन्हें लगातार धमकियां दी जाती है और फटकार लगाई जाती है। शिकायतकर्ता प्रतिनिधियों का आरोप है कि क्लाइंट प्रबंधन, अपनी आवाज उठाने वाले कामगारों को धमकी के रूप में नौकरी के चले जाने और एस्टेट के बंद हो जाने की संभावनाओं का उल्लेख करता है। शिकायतकर्ताओं ने ध्यान दिया है कि जब TGB ने क्लाइंट[20] में अपनी हिस्सेदारी को बेचने पर चर्चा की, तो क्लाइंट प्रबंधन ने सुझाव दिया कि CAO के पास उठाई जा रही शिकायतों के परिणाम-स्वरूप TGB और IFC अपना फंड वापस ले रहे हैं।

[18] CAO को शिकायतकर्ता का पत्र, 27 अप्रैल 2018। https://goo.gl/F3DWToपर उपलब्ध है।

[19] कथित घटनाओं के सारांश के लिए CAO को शिकायतकर्ता के 27 अप्रैल 2018 के पत्र का पृष्ठ 11-12 देखें।

[20] जनवरी 2018 में यह बताया गया कि TGB APPL में अपनी इक्विटी बेचने पर विचार कर रहा था। अधिक जानकारी के लिए https://goo.gl/qRmbgt देखें।

शिकायतकर्ताओं का दावा है कि "IFC कार्य योजना के सफल लागूकरण को सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने में विफल रहा है, जिसमें यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि बजटों को उचित रूप से कामगार कल्याण मुद्दों के लिए निर्देशित किया जाए"।[21] वे नोट करते हैं कि APPL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (निदेशक मंडल) ने कार्य योजना के लागूकरण की समीक्षा की है। वे नोट करते हैं कि IFC को क्लाइंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (निदेशक मंडल) में एक व्यक्ति को नियुक्त करने का अधिकार है, लेकिन, IFC ने कोई डायरेक्टर नियुक्त नहीं किया है।

CAO विश्लेषण

APPL में IFC का निवेश एक चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसमें विकास के महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव की संभावना भी थी। विकास के प्रभाव की संभावना एक ऐसे क्लाइंट के साथ भागीदारी से उभरती है, जिसका व्यवसाय सीधे तौर पर 155,000 से अधिक लोगों की आजीविका का समर्थन करता है, जिसमें गरीब, दूरस्थ और कुछ उदाहरणों में, भारत के संघर्ष-ग्रस्त क्षेत्रों में 30,000 से अधिक कम आय वाले स्थायी कामगार, 10,000 से अधिक अस्थायी कामगार और उनके परिवार शामिल हैं । इसी समय, अगर IFC की आवश्यकताओं का गैर-अनुपालन बना रहता है, तो APPL के एक हिस्से के मालिक के रूप में, IFC पर कामगारों और उनके परिवारों पर अच्छी तरह से दस्तावेज़ित नकारात्मक प्रभावों वाली रोजगार की एक प्रणाली को बनाए रखने का जोखिम है।

यह खंड CAO के गैर-अनुपालन निष्कर्षों पर IFC की प्रतिक्रिया और अब तक IFC की कार्रवाइयों की पर्याप्तता पर CAO का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। CAO के अनुपालन निष्कर्षों के संदर्भ में निम्नलिखित उप-खंड बनाए गए हैं।

उचित जांच (निष्कर्ष 4.1)

CAO जांच निष्कर्षों का सारांश

APPL में IFC का निवेश एक चुनौतीपूर्ण था, लेकिन महत्वपूर्ण सकारात्मक विकास प्रभाव के लिए संभावित था।

इन परिस्थितियों में, IFC ने ऐसी E&S समीक्षा नहीं की, जो "प्रोजेक्ट की प्रकृति और पैमाने के लिए उपयुक्त" या "सामाजिक और पर्यावरणीय जोखिमों और प्रभावों के स्तर के अनुरूप" थी, जैसा कि 2006 की स्थिरता नीति (पैरा 13) द्वारा आवश्यक है।

CAO द्वारा पहचानी गई विशिष्ट कमजोरियों में शामिल हैं: (A) लंबे समय से संघर्ष और क्षेत्र में चाय उद्योग से जुड़े सुरक्षा संबंधी जोखिमों सहित जोखिम के प्रासंगिक विश्लेषण का अभाव; (b) चाय बागानों पर रहने और काम करने की स्थिति के उद्देश्य आकलन का अभाव; (c) क्लाइंट द्वारा प्रदान की गई E&S जानकारी का अपर्याप्त सत्यापन; और (d) E&S मुद्दों के संबंध में कामगारों या उनके प्रतिनिधियों के साथ परामर्श ka अभाव।

महत्वपूर्ण रूप से, IFC की E&S समीक्षा में क्लाइंट की E&S प्रबंधन प्रणाली और IFC आवश्यकताओं के अनुरूप उसके व्यवसाय से जुड़े बहुत से E&S जोखिमों का प्रबंधन करने की क्षमता पर अनुरूप विचारशीलता कमी थी।

IFC ने गलत तरीके से निष्कर्ष निकाला कि निवेश में सीमित संख्या में पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव थे जिसे मानक शमन उपायों (श्रेणी B प्रोजेक्ट के लिए आवश्यकता) के माध्यम से आसानी से ठीक किया जा सकता था।

पर्यावरण और सामाजिक कार्य योजना (ESAP) अपर्याप्त रूप से विस्तृत थी और प्रमुख जोखिम क्षेत्रों पर ध्यान नहीं देती थी।

[21] Ibid, पृष्ठ 15.

नतीजतन, IFC के पास यह निष्कर्ष निकालने के लिए आधार नहीं था कि यह प्रोजेक्ट प्रदर्शन मानकों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है।

IFC की प्रतिक्रिया और विश्लेषण: IFC ने स्वीकार किया कि मूल्यांकन के समय असम के संदर्भ में व्यापक जोखिम को पर्याप्त रूप से सराहा नहीं गया। IFC ने नोट किया कि यह उचित जांच के हिस्से के रूप में प्रोजेक्टों की व्यवस्थित ढंग से जांच करने के लिए, और ऐसे बाहरी जोखिमों को निर्णय लेने और समग्र जोखिम प्रबंधन में कारक बनाने के लिए नई E&S प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं शुरू कर रहा है।

क्योंकि CAO के निष्कर्ष 2006 से 2009 की अवधि के दौरान IFC के परिश्रम से संबंधित हैं, इस निष्कर्ष के लिए प्रोजेक्ट स्तर पर प्रतिक्रिया की अपेक्षा नहीं है। CAO इस और अन्य निवेशों में CAO के निष्कर्ष पर प्रतिक्रिया में सकारात्मक कार्रवाई के रूप में प्रासंगिक जोखिमों पर विचार करने के लिए स्टाफ के मार्गदर्शन के प्रावधान को स्वीकार करता है।[22] विशेष रूप से, IFC ने अपने पर्यावरण और सामाजिक समीक्षा दस्तावेज़ (ESRD), जो E&S प्रदर्शन का एक आंतरिक रिकॉर्ड है, को संशोधित किया है, जिसमें स्टाफ को मूल्यांकन में संदर्भ और क्षेत्र के जोखिमों पर विचार करने की आवश्यकता शामिल की गई है। इसके अलावा, पूर्व-निवेश उचित जांच और E&S जोखिम वर्गीकरण के लिए IFC की आंतरिक प्रक्रियाओं में संशोधन किया गया है ताकि संदर्भ और क्षेत्र के जोखिमों पर विचार किया जा सके।

निष्कर्ष: इन निष्कर्षों के बारे में एक प्रोजेक्ट स्तर की प्रतिक्रिया अपेक्षित नहीं है। क्योंकि IFC ने अपनी पूर्व-निवेश उचित जांच पूरी की, इसलिए IFC ने अपने आंतरिक स्टाफ के मार्गदर्शन को संशोधित करके एक प्रासंगिक और क्षेत्र आकलन की आवश्यकता शामिल की है।

सामान्य पर्यवेक्षण (निष्कर्ष 4.2)

CAO जांच निष्कर्षों का सारांश

APPL में अपने निवेश के IFC के पर्यवेक्षण ने स्थिरता नीति या संबंधित ESRP की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया।

सबसे पहले, क्लाइंट के साथ सहमति की गई और ESAP में सार्वजनिक रूप से खुलासा की गई वितरण की शर्तों (COD) को निवेश समझौते से हटा दिया गया। बाद की घटनाओं को देखते हुए, रसायनों की हैंडलिंग और भंडारण के संबंध में आवश्यकताएं विशेष रूप से प्रासंगिकता थी। CAO ने भी पाया है कि ESRP की आवश्यकताओं के विपरीत, E&S COD की क्लीरेंस में IFC E&S स्टाफ शामिल नहीं था।

दूसरा, IFC द्वारा प्रोजेक्ट के सामान्य पर्यवेक्षण के संबंध में, IFC "अपने क्लाइंट के द्वारा प्रदर्शन मानकों के अनुपालन का आकलन करने के लिए ज़रूरी जानकारी को विकसित करने और बनाए रखने में विफल रहा है" (ESRP)। जहां IFC ने अनुपालन में कमियों की पहचान की है, IFC ने यह सुनिश्चित नहीं किया है कि इन्हें PS1 द्वारा अपेक्षित प्रकार के समयबद्ध और साधन संपन्न कार्य योजनाओं में बदला जाए। परिणाम-स्वरूप, शिकायतकर्ताओं द्वारा उठाए गए E&S अनुपालन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया है।

[22] आगे के विवरण के लिए *पर्यावरण और सामाजिक जोखिम प्रबंधन में सुधार करने पर IFC के दृष्टिकोण* पर IFC (अप्रैल 2017) का बयान देखें। https://goo.gl/YHKWfj पर उपलब्ध है।

IFC की प्रतिक्रिया और विश्लेषण: IFC ने स्वीकार किया कि इसे ऐसे स्थितियों में अधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत है जहां इसकी E&S उचित जांच और बोर्ड की मंजूरी से लेकर इसकी कानूनी प्रतिबद्धता में लंबे समय का अंतराल है। IFC ने, प्राथमिक रूप से TGB के साथ, एक वार्षिक स्वतंत्र तृतीय पक्ष ऑडिट और निम्नलिखित पर कामगार धारणा सर्वेक्षण नियुक्त करके अपने प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण को पूरा करने लिए प्रतिबद्ध है: (a) कार्य योजना; (b) सुधार के लिए लागू किए गए या प्रस्तावित अन्य उपाय; और (c) वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम और कर्मचारी हिस्सेदारी योजना पर जागरूकता प्रशिक्षण जो APPL द्वारा किए गए हैं। जैसा कि IFC की प्रतिक्रिया में वर्णन किया गया है, सर्वेक्षण के लिए "25 एस्टेटों में कामगारों का एक बड़े और प्रतिनिधिक नमूना आकार" का उपयोग किया जाएगा। धारणा सर्वेक्षण के परिणाम कार्यबल के साथ साझा किए जाएंगे। पहले ऑडिट और धारणा सर्वेक्षण के दिसंबर 2016 तक पूरा होने की उम्मीद थी, जिसमें बाद के ऑडिट और सर्वेक्षण प्रत्येक संबंधित वर्ष के दिसंबर तक किए जाएंगे। ऑडिट और धारणा सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर, तृतीय पक्ष APPL प्रबंधन, EEC, TGB और IFC के परामर्श से आगे के उपक्रमों के लिए सुधार के अवसरों की पहचान करेगा और एक कार्य योजना विकसित करेगा। सहमत की गई अतिरिक्त कार्रवाइयां APPL की वेबसाइट पर पोस्ट की जाएंगी और इनका कर्मचारियों के साथ सामूहीकरण किया जाएगा। यह उम्मीद की जा रही थी कि पहली कार्य योजना को फरवरी 2017 तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा, जिसके बाद प्रत्येक संबंधित वर्ष के फरवरी तक संबंधित कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

इस बात का कोई सबूत नहीं है कि CAO की जांच रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया में प्रतिबद्धता जताने के बाद से IFC ने किसी भी बिंदु पर इस तरह के तीसरे पक्ष के ऑडिट को नियुक्त किया हो। सॉलिडारिडाड द्वारा 2017 का आकलन एक ऑडिट नहीं है और प्रासंगिक कानूनी या IFC प्रदर्शन मानकों की आवश्यकताओं के अनुसार क्लाइंट के प्रदर्शन का आकलन नहीं करता है। इसके अलावा, सॉलिडारिडाड ने स्वीकार किया कि दो चाय एस्टेटों पर उसके आकलन ने APPL की 25 एस्टेटों की स्थिति के बारे में सबूत नहीं दिए।

इसके अलावा, IFC ने खुद को इस बारे में आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं की है कि क्लाइंट ने PS1 की आवश्यकतानुसार एक व्यवस्थित पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ESMS) को लागू किया है। IFC के पूर्व पर्यवेक्षण ने दिसंबर 2013 में इस तरह की प्रणाली के अभाव को नोट किया, और बाद के IFC पर्यवेक्षण में एक प्रोगात्मक ESMS विकसित किए जाने को दर्ज किया (APSITE के रूप में जाना जाता है)। क्लाइंट का नवीनतम AMR (2017-2018) पूरी प्रणाली में ESMS[23] को लागू करने के लिए प्रगति पर रिपोर्ट नहीं करता है और IFC की मसौदा AMR समीक्षा ऐसी रिपोर्टिंग के अभाव पर टिप्पणी नहीं करती है। इसके अलावा, फरवरी 2016 में IFC ने नोट किया कि क्लाइंट के AMR प्रारूप में संशोधन करने की ज़रूरत थी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्लाइंट की रिपोर्टिंग IFC द्वारा अनुपालन का आकलन करने के लिए उपयोगी हो। हालाँकि, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि IFC ने संशोधन किया है और क्लाइंट के साथ संशोधित AMR प्रारूप पर सहमति बनाई है।

CAO ने शिकायतकर्ताओं द्वारा दस्तावेज़ित और अप्रैल 2018 में प्रकाशित कामगारों और उनके आश्रितों को मृत्यु और गंभीर चोट की सात घटनाओं के आरोपों को नोट किया। CAO ने यह भी कहा कि क्लाइंट इन घटनाओं से इनकार करता है।[24] IFC की देखरेख में कोई सबूत नहीं मिलता है कि IFC ने क्लाइंट के साथ इन गंभीर आरोपों के संबंध में अनुसरण किया है, जैसा कि IFC की प्रक्रियाओं में दिया गया है।[25]

निष्कर्ष: सामान्य पर्यवेक्षण के संबंध में CAO के अनुपालन निष्कर्षों पर ध्यान नहीं दिया गया है। IFC द्वारा स्वयं को आश्वस्त करने के लिए आगे की कार्रवाई की आवश्यकता है कि क्लाइंट i) एक PS अनुरूप ESMS को लागू कर

[23] क्लाइंट प्रत्येक एस्टेट स्तर ESMS के लिए प्राप्त विभिन्न प्रमाणपत्रों पर रिपोर्ट करता है।

[24] डीएनए इंडिया, 27 अप्रैल, 2018 *Indian workers dying on World Bank-backed tea plantations, say campaigners (विश्व बैंक समर्थित चाय बागानों में भारतीय कामगारों की मौत हो रही है, अभियानकर्ताओं का कहना है)* / Https://goo.gl/kcczv3 पर उपलब्ध है।

[25] IFC ESRP 5.

रहा है; और, ii) गंभीर घटनाओं की रिपोर्ट और मूल कारण का विश्लेषण कर रहा है। निगरानी और रिपोर्टिंग IFC E&S की आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त नहीं है। IFC ने क्लाइंट के 25 एस्टेटों में कामगारों के एक उपयुक्त बड़े और प्रतिनिधि नमूने के साथ एक वार्षिक ऑडिट और कामगार धारणा सर्वेक्षण करने के लिए एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष को नियुक्त करने के लिए कार्य योजना प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया है।

क्लाइंट की चाय एस्टेटों पर कामगारों के रहने की परिस्थितियां (निष्कर्ष 4.3.1)

CAO जांच निष्कर्षों का सारांश

जबकि पूर्वोत्तर भारत में चाय कामगारों की रहने की परिस्थितियों के बारे में अच्छी तरह से दस्तावेज़ित चिंताएं हैं, IFC के पूर्व-निवेश उचित जांच में क्लाइंट के द्वारा राष्ट्रीय कानून के तहत कामगारों को आवास या अन्य बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यकताओं के अनुपालन की समीक्षा शामिल नहीं थी। इसी तरह, IFC ने खुद को यह आश्वस्त नहीं किया कि उसका क्लाइंट ऐसे तरीके से आवास और अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा था जो सुरक्षित और स्वस्थ कामकाजी परिस्थितियों को बढ़ावा देने या कामगारों के स्वास्थ्य को बचाने और बढ़ावा देने के लिए PS2 मानक को पूरा करे।

"सुरक्षित और स्वस्थ कामकाजी परिस्थितियों को बढ़ावा देने, और कामगारों के स्वास्थ्य की रक्षा और बढ़ावा देने" के PS2 के उद्देश्य को देखते हुए, CAO का मानना है कि कामगार स्वास्थ्य संकेतकों पर IFC की विचारशीलता अपर्याप्त है।

पर्यवेक्षण के दौरान, IFC ने आवास और रहने की परिस्थितियों के बारे में शिकायतकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों के लिए व्यवस्थित ढंग से प्रतिक्रिया नहीं दी है। दरअसल, 2014 में कोलंबिया लॉ स्कूल की रिपोर्ट को जारी किए जाने के बाद TGB के द्वारा पहल लिए जाने पर ही आवास और रहने की परिस्थितियों से संबंधित कमियों की पुष्टि की गई और एक कार्य योजना विकसित की गई।

जबकि TGB कार्य योजना बनाए जाने के परिणाम-स्वरूप शिकायतकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान में कुछ प्रगति हुई है, अब तक क्लाइंट की पूंजीकरण और प्रगति की रिपोर्ट को देखते हुए, CAO नोट करता है कि हो सकता है कार्य योजना में प्रतिबद्धताओं का समय पर वितरण संभव न हो। इस संदर्भ में, CAO को पता चलता है कि IFC स्थिरता नीति की आवश्यक्ता के अनुसार इसे वापिस लाने के लिए क्लाइंट के साथ काम करने में सफल नहीं रहा है।

IFC की प्रतिक्रिया और विश्लेषण: IFC की कार्य योजना सभी एस्टेटों में व्यवस्थित रूप से आवास और स्वच्छता में सुधार करने की मांग में महत्वाकांक्षी है। कुछ मामलों में, राष्ट्रीय कानून के तहत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन कार्यों की ज़रूरत होती है। दूसरों में, क्लाइंट ने राष्ट्रीय कानून की आवश्यकताओं से परे उद्देश्य निर्धारित किए हैं (उदाहरण के लिए हर घर में पाइपयुक्त पानी उपलब्ध कराना)। जबकि क्लाइंट ने शुरू में घरों और स्वच्छता की मरम्मत में प्रगति की रिपोर्ट की (अनुलग्नक A देखें), क्लाइंट नोट करता है कि वित्तीय घाटे ने कार्य योजना के तहत अपने बुनियादी ढांचे में सुधार के लक्ष्यों तक पहुंचने की क्षमता सीमित कर दी है।

IFC के पर्यवेक्षण ने क्लाइंट की कार्य योजना प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए उसकी प्रगति पर टिप्पणी नहीं की है और न ही यह बताया है कि IFC या स्थानीय कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए IFC अपने क्लाइंट को क्या सहायता प्रदान कर सकता है।

निष्कर्ष: जबकि क्लाइंट ने एक महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचे में सुधार योजना के लागूकरण की शुरुआत की, क्लाइंट की वित्तीय सीमाओं को ध्यान में रखते हुए प्रगति अपेक्षा से कम रही है।[26] रहने की परिस्थितियों में सुधार के लिए प्रतिबद्धताओं को कामगारों के साथ परामर्श या अनुपालन आवश्यकताओं के आधार पर प्राथमिकता नहीं दी गई है। इसी अनुसार, रहने की परिस्थितियों के बारे में CAO के अनुपालन निष्कर्षों पर ध्यान नहीं दिया गया है।

मजदूरी और मुआवजा (निष्कर्ष 4.3.2)

निष्कर्षों का सारांश

इस आरोप पर प्रतिक्रिया में कि क्लाइंट कामगारों को न्यूनतम मजदूरी से नीचे के स्तर पर मुआवजा देता है, IFC ने इस मुद्दे पर बाहरी कानूनी सलाह प्राप्त करने के लिए उचित कार्रवाई की। लेकिन, यह सलाह उस समय वर्तमान नहीं थी जब इसे वितरित किया गया था और इस तरह इसे दोबारा देखने की आवश्यकता थी।

IFC ने खुद को इस बारे में आश्वस्त नहीं किया है कि क्लाइंट व्यवस्थित रूप से मजदूरी संबंधी जानकारी "स्पष्ट, आसानी से समझ आने योग्य और सटीक, और कर्मचारी या सीधे ठेके पर रखे कामगार की भाषा में" प्रस्तुत कर रहा है।

IFC ने खुद को इस बारे में आश्वस्त नहीं किया है कि अस्थायी और स्थायी कामगारों के लिए मजदूरी और काम करने की परिस्थितियां ऐसी नौकरियों का समर्थन करने के लिए IFC प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हैं जो कामगारों के "स्वास्थ्य की रक्षा करते और इसे बढ़ावा देती" हैं, और इस तरह गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता प्रदान करती हैं।

IFC की प्रतिक्रिया और विश्लेषण: अपनी प्रतिक्रिया में, IFC ने क्लाइंट द्वारा चाय क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी आवश्यकताओं के अनुपालन के बारे में अपनी बाहरी कानूनी सलाह को संशोधित करने की प्रतिबद्धता दी। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि IFC ने इस मुद्दे पर संशोधित कानूनी सलाह नियुक्त की है।

CAO के इस निष्कर्ष पर प्रतिक्रिया में कि IFC ने खुद को इस बारे में आश्वस्त नहीं किया है कि क्लाइंट व्यवस्थित रूप से मजदूरी संबंधी जानकारी "स्पष्ट, आसानी से समझ आने योग्य और सटीक, और कर्मचारी या सीधे अनुबंधित कामगार की भाषा में" प्रस्तुत कर रहा है IATA का नोट जारी किया गया भुगतान करें, IFC ने नोट किया कि क्लाइंट द्विभाषी वेतन पर्ची जारी कर रहा है। दो चाय एस्टेटों के 2017 सॉलिडारिडाड आकलन ने नोट किया कि दोनों एस्टेटों में सभी कामगारों को स्थानीय भाषा में वेतन पर्ची प्राप्त होती है। हालांकि, उनके अप्रैल 2018 के CAO के पत्र में, शिकायतकर्ता यह दावा करते हैं कि "कुछ कामगारों को असमिया भाषा में वेतन पर्ची मिलती है, कई कामगारों को अभी भी अंग्रेजी भाषा में वेतन पर्ची मिलती है"।[27] शिकायतकर्ताओं ने क्लाइंट के हाटीगोर चाय एस्टेट से केवल 2017 की अंग्रेजी में वेतन पर्चियों के उदाहरण प्रस्तुत किए।

[26] AGM के एक भाषण में, APPL के अध्यक्ष ने कहा कि भारत के पूर्वोत्तर में चाय उत्पादन व्यवसाय की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उद्योग में व्यापक सुधार की ज़रूरत है। अध्यक्ष का 2018 AGM भाषण https://goo.gl/5xjmY7 पर उपलब्ध है।

[27] CAO को शिकायतकर्ता का पत्र, 27 अप्रैल 2018, पृष्ठ 8।

पर्यवेक्षण की अवधि के दौरान, CAO नोट करता है कि चाय कामगारों ने उच्च मजदूरी की मांग जारी रखी है। जुलाई 2018 में, असम में चाय कामगारों के लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी को 30 रुपये से 167 रुपये तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था।[28]

<u>निष्कर्ष:</u> IFC ने क्लाइंट के द्वारा राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन आवश्यकताओं के अनुपालन के बारे में अपनी बाहरी कानूनी सलाह को संशोधित नहीं किया है, जैसा कि IFC ने अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया में वचनबद्धता दी है।

इस बात का कोई सबूत नहीं है कि CAO की जांच रिपोर्ट के जारी होने के बाद से IFC के पर्यवेक्षण ने जारी आरोपों पर ध्यान दिया है कि क्लाइंट व्यवस्थित रूप से मजदूरी संबंधी जानकारी "स्पष्ट, आसानी से समझ आने योग्य और सटीक, और कर्मचारी या सीधे ठेके पर रखे कामगार की भाषा में" प्रस्तुत कर रहा है।

असम में चाय कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी में हालिया वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, मजदूरी, गरीबी और कामगार स्वास्थ्य के संबंध में CAO के निष्कर्ष प्रासंगिक बने हुए हैं। IFC ने इस निष्कर्ष पर कार्रवाई नहीं की है। परिणाम-स्वरूप, CAO ने पाया कि अनुपालन निष्कर्षों पर ध्यान नहीं दिया गया है।

[28] असम सरकार: श्रम कल्याण विभाग, 3 जुलाई, 2018. https://goo.gl/PFNvyZ पर उपलब्ध है।

संघ बनाने की स्वतंत्रता और शिकायतों से निपटना (निष्कर्ष 4.3.3)

CAO जांच निष्कर्षों का सारांश

असम में चाय उद्योग में युनियन के मुद्दों के विवादास्पद होने के बारे में जानकारी है। IFC की पूर्व-निवेश उचित जांच में इन मुद्दों के प्रबंधन के लिए अपने क्लाइंट के दृष्टिकोण की समीक्षा शामिल नहीं थी।

शिकायतकर्ताओं, वैश्विक यूनियनों और क्लाइंट द्वारा नियुक्त किए गए एक सामाजिक ऑडिट के अनुसार संघ बनाने और सामूहिक सौदेबाजी की स्वतंत्रता के बारे में चल रही चिंताओं के मद्देनजर, IFC ने PS2 की प्रासंगिक आवश्यकताओं के अनुपालन का आश्वासन नहीं दिया है।

PS1 और PS2 की शिकायत तंत्र आवश्यकताओं की समीक्षा और पर्यवेक्षण के लिए IFC के दृष्टिकोण में भी इसी तरह की कमी है।

चाय क्षेत्र में कामगार शिकायतों के पर्याप्त सबूत के बावजूद, IFC ने शिकायत निवारण से संबंधित अपने क्लाइंट के दृष्टिकोण पर आधारभूत डेटा की समीक्षा नहीं की या इसे संग्रहित नहीं किया।

शिकायत से निपटने के लिए क्लाइंट के दृष्टिकोण में कमियों के संकेत के बावजूद, प्रारंभिक पर्यवेक्षण (2009-2012) के दौरान इस मुद्दे को और अधिक उपेक्षित किया गया।

2013 से, IFC और क्लाइंट शिकायत निवारण से संबंधित क्लाइंट के दृष्टिकोण में सुधार पर चर्चा कर रहे हैं। हालाँकि, CAO नोट करता है कि, आज तक, IFC को यह आश्वासन नहीं मिला है कि क्लाइंट ऐसे शिकायत तंत्र का संचालन कर रहा है जो PS1/PS2 के अनुरूप है।

<u>IFC की प्रतिक्रिया और विश्लेषण</u>: IFC की प्रतिक्रिया में शिकायतों के निपटारे में सुधार के लिए क्लाइंट की कार्रवाइयों का विवरण दिया गया। विशेष रूप से, कार्य योजना एस्टेट स्तर की शिकायत तंत्र को सुधारने और EEC लागू करने का प्रावधान देता है।

IFC दस्तावेज़ यह आश्वासन नहीं देता है कि क्लाइंट की एस्टेट स्तर शिकायत तंत्र PS2 आवश्यकताओं के अनुसार शिकायतों को संभाल रहा है। जुलाई 2013 से IFC ने क्लाइंट की एस्टेट स्तर की शिकायत तंत्र के बारे में चिंताएं उठाई हैं। जबकि कार्य योजना में इसके आवास और बुनियादी ढांचे की शिकायत निवारण प्रक्रिया को मज़बूत करने के लिए एक आइटम शामिल है, इस योजना में गैर-बुनियादी ढांचे से संबंधित शिकायतों के लिए शिकायत तंत्र को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता नहीं है। IFC की अगस्त 2018 की पर्यवेक्षण रिपोर्ट क्लाइंट की एस्टेट स्तर की शिकायत तंत्र के लागूकरण में कमियों को नोट करती है।

एस्टेट पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कामगारों को एक मंच उपलब्ध कराने और शिकायतें करने के लिए एक अन्य मंच के रूप में क्लाइंट द्वारा EEC की स्थापना की गई थी। लेकिन, 2017 की सॉलिडारिडाड रिपोर्ट में नोट किया गया है, EEC के पास सदस्यों के लिए चुनाव के कोई निर्धारित और स्पष्ट रूप से बताए गए मापदंड नहीं थे, और सदस्यों को अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में पूरी तरह से पता नहीं है। सॉलिडारिडाड ने

सिफारिश की कि स्थानीय भाषा में स्पष्ट मार्गदर्शन विकसित किया जाए और EEC सदस्यों को सूचित किया जाए[29]। IFC का पर्यवेक्षण दस्तावेज इस मुद्दे पर IFC द्वारा फॉलो-अप प्रमाण नहीं देते हैं।

CAO के इस निष्कर्ष पर प्रतिक्रिया में कि IFC ने खुद को आश्वस्त नहीं किया है कि उसका क्लाइंट PS2 को संघ बनाने की स्वतंत्रता आवश्यकताओं के अनुपालन करता है, IFC ने कहा कि "APPL, PS2 के तहत कामगार संगठन की आवश्यकताओं को इस तथ्य के मद्देनजर पूरा करता है कि असम चहा मजदूर संघ [ACMS] कानूनी रूप से गठित यूनियन है और APPL वर्तमान सामूहिक सौदेबाजी समझौते का अनुपालन करता है।"[30]

2017 सॉलिडारिडाड की रिपोर्ट में इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि APPL के स्टाफ ने दो चाय एस्टेटों पर किसी भी तरह से ट्रेड यूनियन के गठन को प्रभावित किया।[31] क्लाइंट ने CAO को बताया कि उसने पश्चिम बंगाल में अपने सभी चार चाय एस्टेटों और असम में पांच चाय एस्टेटों में कई यूनियनों को मान्यता दी है।

शिकायतकर्ता यह आरोप लगाते रहते हैं कि ACMS के बागान प्रबंधन के साथ घनिष्ठ संबंध हैं और यह एकमात्र युनियन है जिसे चाय उद्योग मजदूरी सौदेबाज़ी में भाग लेने की अनुमति है। नतीजतन, शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि ACMS कामगारों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं करती है और ACMS द्वारा किए गए सामूहिक सौदेबाजी समझौते कामगारों की पसंद की और कामगारों के अधिकार के तहत बनाई गई यूनियनों द्वारा किए गए समझौतों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।[32] CAO जांच रिपोर्ट जारी होने के बाद से IFC का पर्यवेक्षण दस्तावेज संघ बनाने की स्वतंत्रता पर टिप्पणी नहीं करता है।

<u>निष्कर्ष:</u> शिकायतों से निपटने के बारे में CAO के अनुपालन निष्कर्षों पर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया गया है। इसके अलावा IFC द्वारा खुद को आश्वस्त करने के लिए कि शिकायत से निपटने के लिए क्लाइंट का दृष्टिकोण PS2 आवश्यकताओं के अनुसार है, कार्रवाई की आवश्यकता है।

संघ बनाने की स्वतंत्रता के बारे में CAO के अनुपालन निष्कर्षों ने नोट किया कि IFC ने PS2 की प्रासंगिक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए खुद को आश्वस्त करने के लिए अपर्याप्त कार्रवाई की थी। हालांकि CAO के लिए यह स्पष्ट नहीं है कि शिकायतकर्ताओं द्वारा अपने अप्रैल 2018 के पत्र में CAO को प्रस्तुत जानकारी संघ बनाने की स्वतंत्रता के बारे में PS2 अनुपालन मुद्दा उठाती है, IFC ने क्लाइंट द्वारा प्रासंगिक आवश्यकताओं के अनुपालन के बारे में आश्वस्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है।

बाल मज़दूरी (निष्कर्ष 4.3.4)

CAO जांच निष्कर्षों का सारांश

चाय बागानों सहित भारत के कृषि क्षेत्र में बाल मज़दूरी का प्रचलन है। इस संदर्भ में, CAO ने पाया कि IFC के उसके क्लाइंट के बागानों पर बाल मज़दूरी के जोखिम के संबंध में की पूर्व-निवेश उचित जांच अपर्याप्त थी। इसी तरह, CAO की शिकायत प्राप्त होने के बाद से, IFC ने खुद को आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए हैं कि क्लाइंट वर्तमान में अपनी बाल मज़दूरी आवश्यकताओं का अनुपालन करता है।

[29] सॉलिडारिडाड, 2017 APPL कार्य योजना का स्वतंत्र आकलन, पृष्ठ 11.

[30] जांच पर IFC की आधिकारिक प्रतिक्रिया पृष्ठ 14.

[31] सॉलिडारिडाड, 2017 APPL कार्य योजना का स्वतंत्र आकलन, पृष्ठ 4.

[32] CAO को शिकायतकर्ता का पत्र, 27 अप्रैल 2018, पृष्ठ 7।

IFC की प्रतिक्रिया और विश्लेषण: CAO के निष्कर्ष पर प्रतिक्रिया में, IFC ने नोट किया कि APPL की नीति में बाल मज़दूरी को स्पष्ट रूप से मना किया गया था। IFC ने यह सुनिश्चित करने के लिए एस्टेट प्रबंधन की भूमिका की ओर इशारा किया कि किसी भी बच्चे को काम पर कर्मचारियों की सहायता करने की अनुमति नहीं है। IFC ने नोट किया कि यह APPL, IFC और तृतीय-पक्ष की सतर्कता के अधीन रहेगा।

CAO ने नोट किया कि 2017 में सॉलिडारिडाड द्वारा दो एस्टेटों के आकलन में APPL को बाल मज़दूरी के काम से लाभ होने के प्रमाण नहीं मिले। इसी समय, CAO नोट करता है कि IFC को अभी तक किसी तृतीय-पक्ष ऑडिट और कामगार धारणा सर्वेक्षण शुरू नहीं किया है, जैसा कि इस मुद्दे की समीक्षा करने के लिए इसकी प्रतिक्रिया में बताया गया है।

निष्कर्ष: IFC द्वारा खुद को आश्वस्त करने के लिए कि क्लाइंट को बाल मज़दूरी से लाभ नहीं होता है, आगे की कार्रवाई आवश्यक है। स्वतंत्र तीसरा पक्ष ऑडिट नियुक्त करने के लिए IFC की प्रतिबद्धता एक उपयुक्त प्रतिक्रिया है। हालांकि, IFC ने अभी तक इस ऑडिट को शुरू नहीं किया है। बाल मज़दूरी के संबंध में CAO के अनुपालन निष्कर्षों पर ध्यान नहीं दिया गया है।

कीटनाशकों का उपयोग (निष्कर्ष 4.3.5)

निष्कर्षों का सारांश

IFC ने इस प्रोजेक्ट के लिए कीटनाशकों को संभालने और उपयोग के संबंध में अपनी आवश्यकताओं को ठीक से लागू नहीं किया है, जिसके परिणाम-स्वरूप कामगारों का बेहद खतरनाक रसायनों से संपर्क होता है। विशेष रूप से, IFC ने समयबद्ध ढंग से क्लाइंट द्वारा कीटनाशकों के उपयोग की पहचान नहीं की जो IFC आवश्यकताओं के तहत निषिद्ध या प्रतिबंधित हैं। इसके अलावा, IFC कीटनाशकों के उपयोग से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए क्लाइंट को पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान करने में विफल रहा है।

यह महत्वपूर्ण चिंता का विषय है कि, आज तक, IFC ने यह आश्वासित नहीं किया गया है कि क्लाइंट द्वारा कीटनाशकों के उपयोग से संबंधित गैर-अनुपालन के विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। इनमें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) के अपर्याप्त उपयोग से संबंधित मुद्दे शामिल हैं, जिन्हें 2010 से बाहरी हितधारकों द्वारा उठाया गया है, और जिनकी 2011 और 2014 में किए गए बाहरी ऑडिट द्वारा चिंताओं के रूप में पुष्टि की गई थी।

IFC की प्रतिक्रिया और विश्लेषण: अपनी प्रतिक्रिया में, IFC ने नोट किया कि क्लाइंट ने 1a: बेहद खतरनाक और 1b: अत्यधिक खतरनाक कीटनाशकों के उपयोग को काफी हद तक कम कर दिया था और मार्च 2017 तक उन्हें पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। IFC ने नोट किया कि श्रेणी II: मध्यम खतरनाक कीटनाशकों का उपयोग PPE के उपयोग के साथ उचित रूप से प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा ही किया जाएगा। तीन महीने के बाद कीटनाशक छिड़काव करने वालों को अन्य कामों के लिए घुमाया जाएगा।[33]

शिकायतकर्ता कीटनाशक का छिड़काव करने वाले के लिए पर्याप्त कार्मिक सुरक्षा उपकरण, इस ड्यूटी से कामगारों के रोटेशन और मेडिकल जांच के प्रावधान में लापरवाही का आरोप लगाते रहते हैं। विशेष रूप से, उनका आरोप है कि क्लाइंट "छिड़काव करने वालों के संबंध में कागजी अनुपालन सुनिश्चित करता है, न कि वास्तविक अनुपालन।" शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि क्लाइंट कामगारों को बारी-बारी इस ड्यूटी से दूर हटाने के बजाय कीटनाशकों का

[33] जांच पर IFC की आधिकारिक प्रतिक्रिया पृष्ठ 14.

छिड़काव करने के लिए उन्हीं व्यक्तियों के उपयोग करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में संशोधन करेगा। शिकायतकर्ता दावा करते हैं कि जहां कामगारों को PPE तक पहुंच है, वह ठीक तरह से फिट नहीं होते हैं, असुविधाजनक, गर्म मौसम के लिए अनुचित, या क्षतिग्रस्त हैं। इसके अलावा, शिकायतकर्ताओं ने कुछ एस्टेटों पर आरोप लगाया है कि PPE को स्टोररूम में रखा जाता है और आगंतुकों या ऑडिटर्स के आने पर ही छिड़काव करने वालों को सौंपा जाता है।[34, 35]

क्लाइंट ने बताया कि अब इसकी एस्टेटों पर श्रेणी 1a: बेहद खतरनाक और 1b: अत्यधिक खतरनाक कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। IFC को रिपोर्ट करने वाले क्लाइंट का कहना है कि श्रेणी II कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। PS3 कहता है कि इस तरह के कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जा सकता है जहां "उन तक ऐसे कर्मियों की पहुँच होने की संभावना हो जिनके पास उचित प्रशिक्षण तथा उपकरण नहीं हैं और जहां इन उत्पादों को सही ढंग से संभालने, स्टोर करने, लागू करने और निपटान करने की सुविधाओं नहीं हैं।"[36] IFC की आज तक की निगरानी ने पर्याप्त आश्वासन नहीं दिया है कि कामगारों को कीटनाशकों को ठीक से संभालने, स्टोर करने, लगाने और निपटाने के लिए उचित प्रशिक्षण और उपकरण प्रदान किया जाता है। IFC पर्यवेक्षण दस्तावेज़ रिकॉर्ड करता है कि अलग-अलग एस्टेटों में कीटनाशकों के प्रशिक्षण पर क्लाइंट की रिपोर्टिंग असंगत है। IFC की प्रतिक्रिया कामगारों पर अत्यंत और अत्यधिक खतरनाक रसायनों के उपयोग के पिछले प्रभावों के मुद्दे पर ध्यान नहीं देती है।

<u>निष्कर्ष:</u>. जबकि क्लाइंट ने श्रेणी 1a और श्रेणी 1b कीटनाशकों को चरणबद्ध ढंग से बंद करने की सूचना दी है, आगे IFC द्वारा खुद को आश्वस्त करने के लिए कि क्लाइंट PS3 आवश्यकताओं के अनुसार कीटनाशकों का उपयोग कर रहा है, कार्रवाई आवश्यक है। विशेष रूप से, यह कि कामगारों को कीटनाशकों के ठीक ढंग से भंडारण करने, लगाने और निपटान करने के लिए उचित प्रशिक्षण तथा उपकरण प्रदान किया जाएं।

सुरक्षा के प्रति क्लाइंट के दृष्टिकोण से संबंधित जोखिम; (निष्कर्ष 4.3.6)

निष्कर्षों का सारांश

CAO ने पाया है कि सुरक्षा बलों के उपयोग के बारे में क्लाइंट के दृष्टिकोण पर IFC का पूर्व-निवेश आकलन पर्याप्त नहीं है। विशेष रूप से, IFC ने हिंसक घटनाओं के इतिहास वाले इलाके और क्षेत्र में सरकारी सुरक्षा बलों पर क्लाइंट की निर्भरता से संबंधित जोखिमों पर विचार नहीं किया।

इसी तरह, और क्लाइंट की एस्टेट पर या उसके आस-पास कई हिंसक घटनाओं के बाद, IFC ने पर्यवेक्षण के दौरान खुद को आश्वस्त नहीं किया कि सुरक्षा बलों के उपयोग के लिए क्लाइंट का दृष्टिकोण प्रदर्शन मानक 4 के अनुसार है।

<u>IFC की प्रतिक्रिया और विश्लेषण</u>: IUF ने CAO को क्लाइंट की नोवेरा नड्डी (अगस्त 2009) और पवई (मई 2010) चाय एस्टेटों में हिंसक घटनाओं के बारे में सूचित किया - जिसमें कामगारों की जानें भी गई थी। इस लिए, CAO की जांच रिपोर्ट ने सुरक्षा के लिए क्लाइंट के दृष्टिकोण पर IFC की समीक्षा पर विचार किया। PS4 के लिए सुरक्षा

[34] CAO को शिकायतकर्ता का पत्र, 27 अप्रैल 2018, पृष्ठ 10।

[35] CAO ने नोट किया कि हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड (यूके) के भारत में चाय क्षेत्र पर शोध प्रोजेक्ट ने केवल वार्षिक प्रमाणन ऑडिट के दौरान ही कामगारों को PPE प्रदान करने के चलन पर ध्यान दिया। लेबरन, जेनेविव (2018) *द ग्लोबल बिजनेस ऑफ फोर्स्ड लेबर*/ https://goo.gl/9TknwD पर उपलब्ध है।

[36] IFC प्रदर्शन मानक 3, पैरा 35.

जोखिम आकलन की आवश्यकता होती है, वहां भी जहां क्लाइंट के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकारी सुरक्षा बल तैनात किए जाते हैं। हालांकि बाद की सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्ट नहीं की गई है, न तो IFC की प्रतिक्रिया और न ही बाद के पर्यवेक्षण दस्तावेज इस गैर-अनुपालन निष्कर्ष पर प्रतिक्रिया में किसी भी कार्रवाई पर टिप्पणी करते हैं।

निष्कर्ष: IFC द्वारा खुद को आश्वस्त करने के लिए कि सुरक्षा जोखिम आकलन और शमन के संबंध में CAO के निष्कर्षों पर PS4 आवश्यकताओं के अनुसार ध्यान दिया गया है, कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

प्रोजेक्ट से संबंधित आर्थिक विस्थापन के आरोप (निष्कर्ष 4.3.7)

निष्कर्षों का सारांश

IFC ने कामगारों की पूरक कृषि गतिविधियों के संभावित आर्थिक विस्थापन के संबंध में क्लाइंट द्वारा PS5 आवश्यकताओं के उचित लागूकरण से खुद को आश्वस्त नहीं किया है।

IFC की प्रतिक्रिया और विश्लेषण: IFC ने कहा कि APPL ने पूरक कृषि गतिविधियों से प्रभावित कामगारों को अतिरिक्त रोजगार या वैकल्पिक भूमि प्रदान की है।[37] क्लाइंट ने बताया है कि 20 व्यक्तियों को मछली पालन में स्थायी रोजगार प्रदान किया गया है और 23 व्यक्तियों को चाय संचालनों में स्थायी रोजगार प्रदान किया गया है।[38]

2017 सॉलिडारिडाड की रिपोर्ट में कहा गया है कि नाहोरानी में गैर-चाय कृषि गतिविधियों के परिणाम-स्वरूप आर्थिक विस्थापन से प्रभावित कामगारों को औपचारिक रोजगार प्रदान किया गया था। सॉलिडारिडाड के दृष्टिकोण में, इससे यह मुद्दा हल हो गया।[39]

CAO नोट करता है कि शिकायतकर्ताओं द्वारा अप्रैल 2018 में CAO को दी गई प्रस्तुति में इस मुद्दे को उठाया नहीं गया है।

निष्कर्ष: 2017 सॉलिडारिडाड का आकलन बताता है कि इस मुद्दे को प्रभावित कामगारों को औपचारिक रोजगार के प्रावधान द्वारा हल किया गया था। लेकिन, सॉलिडारिडाड रिपोर्ट ने क्लाइंट द्वारा आजीविका बहाली के लिए PS आवश्यकताओं के अनुसार मुद्दे से निपटने का आकलन नहीं किया। जबकि शिकायतकर्ताओं ने अप्रैल 2018 में CAO को अपनी प्रस्तुति में इस मुद्दे को नहीं उठाया, यह स्पष्ट नहीं है कि यह उनके दृष्टिकोण से हल हो गया है। मुद्दों की PS अनुपालन समीक्षा या शिकायतकर्ताओं द्वारा इसके समाधान के आश्वासन के न होने पर, यह मुद्दा खुला रहता है।

प्रोजेक्ट के लिए प्रदर्शन मानक 7 (स्वदेशी लोग) का लागूकरण; (निष्कर्ष 4.3.8)

निष्कर्षों का सारांश

CAO ने पाया कि IFC ने खुद को इस बारे में आश्वस्त नहीं किया कि PS7 को इस निवेश के लिए ठीक से लागू किया गया था।

[37] जांच पर IFC की आधिकारिक प्रतिक्रिया पृष्ठ 15.

[38] APPL, प्रोजेक्ट उन्नती अपडेट अक्तूबर 2017।

[39] सॉलिडारिडाड, 2017 APPL कार्य योजना का स्वतंत्र आकलन, पृष्ठ 5.

IFC की प्रतिक्रिया और विश्लेषण: यह निर्धारित करते समय कि क्या PS7 के उद्देश्य के लिए किसी समूह या समुदाय को स्वदेशी माना जाना चाहिए, IFC मार्गदर्शन में कहा गया है कि क्लाइंट को नृवंशविज्ञान और भागीदारी तरीकों का उपयोग करते हुए योग्य सामाजिक वैज्ञानिकों को बनाए रखना चाहिए।[40]

CAO ने पाया कि IFC के पास यह आश्वासन नहीं था कि क्लाइंट ने अपने चाय कामगारों को PS7 (स्वदेशी लोग) का पर्याप्त लागूकरण संचालित किया था। PS7 के अनुसार, CAO ने पाया कि चाय कामगारों के स्वदेशी लोगों के रूप में मान्यता के दावों की विशेषज्ञ विश्लेषण की आवश्यकता थी। CAO ने यह निष्कर्ष शिकायतकर्ताओं के दावे के संदर्भ में किया कि वे स्वदेशी लोग हैं, उन्होंने अपनी भाषा को बनाए रखा है, उनकी एक अलग सांस्कृतिक पहचान है जो अन्य समूहों से अलग है और वे खुद को एक जातीय समूह के सदस्य के रूप में पहचानते हैं जिसे अन्य भारतीय राज्यों में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

प्रतिक्रिया में, IFC ने कहा कि PS7 लागू नहीं होता था क्योंकि क्लाइंट की एस्टेट पर लोग क्षेत्र के मूल निवासी नहीं हैं। IFC ने कहा कि लोगों के पास प्रोजेक्ट क्षेत्र में "भूमि, पैतृक क्षेत्रों, या प्राकृतिक संसाधनों पर ऐतिहासिक निर्भरता नहीं है, जो चाय उद्योग से पहले से हों और/या प्रोजेक्ट से प्रभावित हुई हो।"[41] यह कहते हुए कि PS7 लागू नहीं होना चाहिए, IFC इस बात का कोई सबूत नहीं देता है कि यह निष्कर्ष विशेषज्ञ विश्लेषण या प्रभावित समूहों के साथ परामर्श पर आधारित है।

निष्कर्ष: चाय कामगारों को PS7 लागू करने के बारे में CAO के अनुपालन का पता नहीं चला है। PS7 को लागू करने का आकलन करने के लिए प्रभावित समूहों के साथ विशेषज्ञ विश्लेषण और परामर्श की आवश्यकता है।

[40] IFC PS7 (2006), GN6.

[41] जांच पर IFC की आधिकारिक प्रतिक्रिया पृष्ठ 15.

शेयर कार्यक्रम के संबंध में परामर्श और प्रकटीकरण; (निष्कर्ष 4.3.9)

निष्कर्षों का सारांश

इस पर विचार करते हुए कि: (a) प्रोजेक्ट को अधिकांश कामगारों द्वारा शेयर कार्यक्रम में भाग लेने की आवश्यकता थी; (b) शेयरों की खरीद जोखिम को बढ़ाती है; और (c) चाय कामगार एक वंचित और कमजोर समूह हैं, CAO ने पाया कि:
- IFC की पूर्व-निवेश समीक्षा ने कामगारों पर कर्मचारी शेयरधारक कार्यक्रम के संभावित प्रतिकूल प्रभावों पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया;
- न तो IFC के पहले वितरण में और न ही पर्यवेक्षण के दौरान, IFC के पास यह निष्कर्ष निकालने का आधार था कि कंपनी ने कार्यक्रम के संबंध में कामगारों के साथ प्रभावी परामर्श के लिए इसकी आवश्यकताओं को पूरा किया है;
- IFC ने खुद यह आश्वस्त नहीं किया है कि शिकायतकर्ताओं द्वारा उठाए गए परामर्श की कमी के विशिष्ट आरोपों पर ध्यान दिया गया है।

2014 में, IFC ने एक राइट्स इश्यू में भाग लिया जिसमें कामगारों के शेयरहोल्डिंग के मूल्य पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव पड़े थे। इस संदर्भ में, यह सुझाव देने का कोई सबूत नहीं है कि IFC ने अपने क्लाइंट से PS1 की आवश्यक के अनुसार प्रभावित कामगारों से परामर्श करने की मांग की।

IFC की प्रतिक्रिया और विश्लेषण: कार्य योजना ने नोट किया कि एक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सभी चाय एस्टेटों में आयोजित किया गया है और एक वार्षिक रिफ्रेशर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। क्लाइंट ने अपनी कार्य योजना प्रगति रिपोर्ट में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लागूकरण पर कोई ताज़ा जानकारी प्रदान नहीं की है।

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि कामगार सामान्य तौर पर "जोखिमों और लाभों सहित शेयरों की प्रकृति" से अनजान हैं। वे अपने शेयरों के वर्तमान मूल्य, लाभांश प्राप्त करने के तरीके, शेयरधारकों के रूप में उनके अधिकार और अपने शेयरों को बेचने की प्रक्रिया से भी अनजान हैं।"[42] शिकायतकर्ता आगे दावा करते हैं कि उन्हें शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं, और उनके स्वामित्व के संबंध में एकमात्र दस्तावेज बैंक की किताबें हैं, जो अंग्रेजी में हैं। शिकायतकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि कामगार-शेयरधारकों को वित्तीय साक्षरता पर प्रशिक्षित किया जाए और उनकी APPL के निदेशक मंडल में सीधे निर्वाचित की गई सीट हो।[43]

क्लाइंट ने CAO को बताया कि हाल ही में AGM बैठकों में, कामगार-शेयरधारकों को AGM निर्णयों पर अग्रिम रूप से इलेक्ट्रॉनिक वोट करने का अवसर प्रदान किया गया है। यह AGM मतदान प्रक्रिया की समीक्षा करने वाली एक तृतीय-पक्ष रिपोर्ट में दर्ज है।[44] लेकिन, शिकायतकर्ता नोट करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अंग्रेजी, एक ऐसी भाषा जो चाय कामगारों को समझ नहीं आती है, और चाय एस्टेट प्रबंधन की उपस्थिति में आयोजित की जाती है।

2017 में दो चाय एस्टेटों की समीक्षा में, सॉलिडारिडाड ने कहा कि (a) शेयर वितरण कार्यक्रम प्रबंधन द्वारा किसी भी बल के बिना किया गया था; (b) कामगार-शेयरधारकों को उनके शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं; और (c) विभिन्न समयों पर विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण से कामगार-शेयरधारकों को पूरा तरह से लाभ नहीं हुआ है।

[42] CAO को शिकायतकर्ता का पत्र, 27 अप्रैल 2018, पृष्ठ 4।

[43] CAO को शिकायत पत्र, 27 अप्रैल, 2018, पृष्ठ 5 और 16.

[44] APPL स्क्रूटिनीज़र रिपोर्ट, जून 2018. https://goo.gl/3jBWcc पर उपलब्ध है।

IFC की प्रतिक्रिया ने CAO के गैर-अनुपालन निष्कर्षों पर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया है। IFC पर्यवेक्षण इस निष्कर्ष का समर्थन नहीं करता है कि कामगारों से शेयर कार्यक्रम पर पर्याप्त परामर्श किया गया था और उन्हें भागीदारी कार्यक्रम के संबंध में पर्याप्त और उचित परामर्श प्राप्त मिलना जारी रहा था, ताकि वे शेयरधारकों के रूप में अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें।

<u>निष्कर्ष:</u> शेयर कार्यक्रम के संबंध में परामर्श और प्रकटीकरण के बारे में CAO के अनुपालन निष्कर्षों पर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया गया है। इसके अलावा IFC द्वारा खुद को आश्वस्त करने के लिए कि शेयरहोल्डिंग के संबंध में कामगार-शेयरधारकों को पर्याप्त रूप से सूचित और परामर्श दिया गया है, कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

अधिक सामान्य रूप से परामर्श और प्रकटीकरण आवश्यकताएं; (निष्कर्ष 4.3.10)

निष्कर्षों का सारांश

IFC ने खुद को प्रोजेक्ट के संबंध में PS1 परामर्श और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के उचित लागूकरण से आश्वस्त नहीं किया है।

विशेष रूप से, IFC ने यह सुनिश्चित नहीं किया है कि क्लाइंट ने आवश्यक E&S आकलन दस्तावेजों, कार्य योजनाओं और निगरानी रिपोर्टों को ऐसे ढंग से प्रकट किया है जो कामगारों के लिए पहुँचयोग्य हो।

इसी तरह, IFC ने खुद को आश्वस्त नहीं किया है कि प्रमुख E&S आकलन प्रक्रियाएं और कार्य योजनाएं कामगारों के साथ प्रभावी परामर्श के बाद तैयार की गई थीं।

<u>IFC की प्रतिक्रिया और विश्लेषण</u>: IFC की प्रतिक्रिया परामर्श और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के बारे में CAO के निष्कर्षों पर अधिक सामान्य रूप से ध्यान नहीं देती है। IFC ने यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाइयों का प्रस्ताव नहीं दिया है कि क्लाइंट मौजूदा E&S आकलन दस्तावेजों, कार्य योजनाओं और निगरानी रिपोर्टों को ऐसे ढंग से प्रकट करे जो कामगारों के लिए पहुँचयोग्य हो।

हालांकि, IFC की प्रतिक्रिया में IFC द्वारा प्रकाशित कार्य योजना पर खुलासा करने और कामगारों और प्रभावित समुदायों के साथ परामर्श करने के लिए क्लाइंट के कार्रवाई मद शामिल हैं। इसके नवंबर 2016 तक पूरा होने की उम्मीद थी। इसके अलावा, IFC ने खुद को आश्वस्त नहीं किया है कि कार्य योजना में शामिल कार्यों, जिनके लिए लागूकरण की जिम्मेदारी IFC की है, का खुलासा कामगारों के लिए पहुँचयोग्य ढंग से किया गया है।

CAO ने ध्यान दिया कि कार्य योजना को अक्तूबर 2016 में क्लाइंट के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। सॉलिडारिडाड की 2017 की रिपोर्ट में कहा गया है कि समीक्षा की गई दो एस्टेटों के कामगार बता नहीं सके कि क्या उन्होंने पूर्ण कार्य योजना देखी है।[45] CAO को अप्रैल 2018 की शिकायतकर्ताओं की प्रस्तुति में कहा गया कि कामगारों को कार्य योजना के बारे में पता नहीं था और उन्हें इस पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया था।[46]

[45] सॉलिडारिडाड, 2017 APPL कार्य योजना का स्वतंत्र आकलन, पृष्ठ 10.

[46] CAO को शिकायतकर्ता का पत्र, 27 अप्रैल 2018, पृष्ठ 2।

CAO की जांच रिपोर्ट जारी होने के बाद से, IFC ने खुद को आश्वस्त नहीं किया है कि क्लाइंट PS1 प्रकटीकरण और परामर्श आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। विशेष रूप से, IFC ने खुद को आश्वस्त नहीं किया है कि क्लाइंट ने पूर्व E&S आकलन दस्तावेजों, कार्य योजनाओं और निगरानी रिपोर्टों को ऐसे ढंग से प्रकट किया है जो कामगारों के लिए पहुँचयोग्य हो। IFC ने यह सुनिश्चित नहीं किया है कि क्लाइंट ने कार्य योजना पर कामगारों का खुलासा और उनसे परामर्श किया है। इसके अलावा, IFC ने खुद को आश्वस्त नहीं किया है कि क्लाइंट कार्य योजना के लागूकरण पर कामगारों और प्रभावित समुदायों को लगातार ताज़ा जानकारी दे रहा है।

<u>निष्कर्ष:</u> आगे IFC द्वारा स्वयं को आश्वस्त करने के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता है कि E&S आकलन दस्तावेज, कार्य योजनाओं और निगरानी रिपोर्ट का खुलासा किया जाए और उन ऐसे तरीकों से परामर्श किया जाए जो, कामगारों और प्रभावित समुदायों द्वारा बोली जाती भाषा और उनके साक्षरता के स्तर पर विचार करते हुए, उनके लिए सुलभ हो। इसके अलावा, IFC ने खुद को आश्वस्त नहीं किया है कि PS1 आवश्यकताओं के अनुसार कामगारों और प्रभावित समुदायों को कार्य योजना लागूकरण पर निगरानी रिपोर्टों का खुलासा किया गया है। परामर्श और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के बारे में CAO के अनुपालन निष्कर्षों पर ध्यान नहीं दिया गया है।

निष्कर्ष

CAO जांच रिपोर्ट के पूरा होने के बाद से IFC की निगरानी असंतोषजनक रही है। क्लाइंट कार्य योजना के तहत बताए गए उपायों पर ध्यान देते हुए, IFC ने CAO की जांच पर अपनी प्रतिक्रिया में शामिल विशिष्ट प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया है। विशेष रूप से, IFC ने (a) क्लाइंट की 25 एस्टेटों में प्रतिनिधिक नमूने के साथ वार्षिक ऑडिट और कामगार धारणा सर्वेक्षण करने के लिए एक तीसरे पक्ष को नियुक्त नहीं किया; (b) क्लाइंट द्वारा राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी आवश्यकताओं के अनुपालन पर अपनी कानूनी राय को अपडेट नहीं किया; या (c) यह सुनिश्चित नहीं किया कि अक्तूबर 2016 में क्लाइंट के बोर्ड द्वारा मंजूरी दिए जाने से पहले कार्य योजना का खुलासा किया जाए और इस पर कामगारों के साथ परामर्श किया जाए। जैसा कि मूल जांच में प्रस्तुत किया गया है, CAO इस बात से चिंतित है कि IFC के द्वारा प्रोजेक्ट का जारी पर्यवेक्षण, क्लाइंट के द्वारा प्रदर्शन मानकों के अनुपालन का आकलन करने के लिए ज़रूरी जानकारी को विकसित करने और बनाए रखने में लगातार पीछे रह गया है। परिणाम-स्वरूप, IFC के पास यह आश्वासन नहीं है कि क्लाइंट प्रदर्शन मानकों का अनुपालन प्राप्त करने के लिए सही रास्ते पर है।

यह निगरानी रिपोर्ट निष्कर्ष अनुसार IFC की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करती है और ऐसा करने में IFC को इसके जारी पर्यवेक्षण में CAO के अनुपालन निष्कर्षों पर ध्यान देने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है।

इस निवेश के जरिए IFC की स्थिरता नीति और प्रदर्शन मानकों की प्रतिबद्धताओं को पूरा करना चुनौतीपूर्ण रहा है। CAO जांच में उठाए गए कई मुद्दे क्लाइंट के लिए विशेष नहीं हैं। बल्कि, जैसा कि IFC टिप्पणी करता है, वे "भारत में [चाय] क्षेत्र को परेशान करने वाले 150 साल पुरानी विरासत के कुछ मुद्दों को उजागर करते हैं, जिन पर तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है।" क्लाइंट टिप्पणी करता है कि हाल के वर्षों में वित्तीय घाटे के कारण कार्य योजना के लागूकरण में बाधा आई है और उससे अधिक पूंजी की आवश्यकता है जितनी कि वर्तमान में उपलब्ध है। शिकायतकर्ताओं ने ध्यान दिया कि निरंतर गैर-अनुपालन के कारण रोज़गार का एक ऐसा सिस्टम जारी रहता है जिसके कामगारों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य और भलाई पर अच्छी तरह से दस्तावेज़ित नकारात्मक प्रभाव हैं। जैसा कि 2018 की वार्षिक जनरल मीटिंग में क्लाइंट के अध्यक्ष द्वारा पहचाना गया है, भारत के पूर्वोत्तर में चाय उद्योग अपनी स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए उद्योग में व्यापक सुधारों की उम्मीद कर रहा है।

अनुलग्नक A - IFC कार्य योजना ताज़ा जानकारी का सारांश

संख्या	सुझाया गया कार्यवाही मद	लागूकरण की स्थिति (30 सितंबर, 2016)	अक्तूबर 2017 अपडेट	पूरा करने की लक्षित तारीख
मानव स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित उच्च प्राथमिकता कार्रवाई				
1	प्रत्येक घर को एक काम करता शौचालय/लैटरीन प्रदान करें।	2,810 नए शौचालयों का निर्माण 4,645 शौचालयों की मरम्मत	2,794 नए शौचालयों का निर्माण अब तक 10,693 शौचालयों की मरम्मत की गई 2014 में तैयार की गई मूल प्रोजेक्ट उन्नती योजना के अनुसार, सभी एस्टेटों पर शौचालयों की कमी पर ध्यान दिया गया है।	
2	एक सेप्टिक टैंक सफाई व्यवस्था स्थापित की गई।	दो यांत्रिक सेप्टिक टैंक सफाई उपकरण खरीदे गए। 8,691 घरों में सेप्टिक टैंक की सफाई कई गई। सेप्टिक टैंक की सफाई एक जारी प्रक्रिया है और इन्हें आवश्यकता पड़ने पर साफ किया जाता है।	आज तक 8,691 सेप्टिक टैंक साफ किए गए मानसून के कारण सेप्टिक टैंक की सफाई अभी शुरू हुई है और मार्च 2017 तक पूरी हो जाएगी।	सभी मौजूदा सेप्टिक टैंकों की सफाई का पहला दौर मार्च 2017 तक
3	सभी घरों में काम करते शौचालयों को सुनिश्चित करने के लिए शौचालय के डिजाइन में तकनीकी खामियों को पहचानना और हल करना।	प्रायोगिक आधार पर 146 जैव शौचालय स्थापित किए गए। कपारो और सुलभ समूहों के सहयोग से तकनीकी समाधान पर चर्चा की जा रही है।	शौचालय का डिज़ाइन सभी एस्टेटों में मानकीकृत किया गया है।	मार्च 2017
4	PLA प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक घर में पीने योग्य पानी उपलब्ध कराएं।	प्रति 4 घरों में एक पीने योग्य पानी के स्रोत पर विचार करते हुए 6,252 हैंड पंप और पाइप से आने वाले पानी के स्टैंडपाइप प्रदान किए गए। घरों की कुल संख्या 18,681 है और वर्तमान में यह अनुपात 3 घरों के लिए 1 स्रोत का है।	प्रति 4 घरों में एक पीने योग्य पानी के स्रोत पर विचार करते हुए 6,252 हैंड पंप और पाइप से आने वाले पानी के स्टैंडपाइप प्रदान किए गए। घरों की कुल संख्या 18,681 है और वर्तमान में यह अनुपात 3 घरों के लिए 1 स्रोत का है। हाटीगोर, भेलागुरी और डेबरापारा में जलपूर्ति उन्नतीकरण कार्य किया गया है। स्टैंड पाइप पानी के कनेक्शन के साथ 526 नए पानी के बिंदु कामगारों के घरों को दिए गए हैं	मार्च 2017
5	WHO श्रेणी 1a और 1b खतरनाक वर्गीकरण वाले खतरनाक कीटनाशकों को, अनजाने उपयोग को रोकने के लिए नियंत्रण प्रक्रियाएं स्थापित करने सहित, चरणबद्ध ढंग से पूरी तरह बंद करना।	WHO श्रेणी 1a और 1b कीटनाशक का उपयोग 2015 में 200 लीटर तक कम हो गया	APPL, PPC दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करता है। WHO श्रेणी 1a और 1b वर्गीकरण वाले कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है।	मार्च 2017

6	उच्च गुणवत्ता वाले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) पर्याप्त संख्या में खरीदे गए और छिड़काव ड्यूटी वाले सभी कर्मियों को उपलब्ध कराए गए।	कवरऑल, मास्क, रबर वेस्ट/एप्रन, दस्ताने, चेहरे और आंखों की सुरक्षा सहित 2,842 संपूर्ण सेट एस्टेटों में प्रदान किए गए	*कोई नया विवरण नहीं दिया गया है। APPL कार्रवाई आइटम के अनुपालन में होने का दावा करता है।*	मार्च 2017
7	क्षतिग्रस्त हो गए PPE को बदलने के लिए प्रत्येक एस्टेट पर पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त PPE रखे गए	300 पूर्ण सेट कवरऑल, मास्क, रबर वेस्ट/एप्रन, रबर के दस्ताने, चेहरे की सुरक्षा	*कोई नया विवरण नहीं दिया गया है। APPL कार्रवाई आइटम के अनुपालन में होने का दावा करता है।*	मार्च 2017
8	प्रत्येक एस्टेट क्षतिग्रस्त PPE को बदलने के लिए हर साल उचित बजट प्रदान करे	वित्त वर्ष 17 के लिए बजट में 10 मिलियन रुपए (US$ 150,000) प्रदान किए गए	वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 57,86,500.00 रुपए ($88,000)	मार्च 2017
9	हर तीन महीने में कामगारों का छिड़काव की ड्यूटियों से दूर अनिवार्य रोटेशन	हर 3 महीने में छिड़काव कार्य पर तैनात कामगारों के अनिवार्य रोटेशन को लागू करने के लिए आईटी पेरोल प्रणाली में बदलाव लागू किया गया है	APPL ने बताया कि यह कार्रवाई आइटम मार्च 2016 से पूरा हो गया है।	मार्च 2016 तक पूरा हुआ
10	सुरक्षित ढंग से संभालने, मिलाने और छिड़काव करने की तकनीकों और PPE के उपयोग पर सभी छिड़काव करने वालों को शामिल करने के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता निर्माण।	7,063 स्प्रेयरों/छिड़काव को प्रशिक्षित किया गया (100% छिड़काव दस्ते)	7,063 स्प्रेयरों/छिड़काव को प्रशिक्षित किया गया (100% छिड़काव दस्ते)। APPL कार्रवाई आइटम के अनुपालन में होने का दावा करता है।	मार्च 2017 और हर साल रिफ्रेशर
11	PPE की धुलाई के लिए और कामगारों के नहाने के लिए प्रत्येक एस्टेट में वॉश स्टेशन का प्रावधान।	23 एस्टेटों में वॉश स्टेशन प्रदान किए गए ।	18 वॉश स्टेशन बनाए गए 32 इस वर्ष (FY17-18) बनाए जा रहे हैं।	मार्च 2017
12	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत सभी एस्टेट अस्पतालों को कवर करें	असम सरकार के साथ चर्चा हो रही है और मसौदा MOU को अंतिम रूप दिया जा रहा है	6 अस्पतालों को NRHM (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, असम सरकार) के तहत कवर किया गया शेष 14 अस्पतालों को NRHM के तहत कवर करने के लिए आवेदन सरकार को सौंप दिए गए हैं। सरकार की ओर से जवाब का अभी भी इंतज़ार है।	मार्च 2017
13	आश्रितों के लिए चिकित्सा लाभ से संबंधित PLA 2010 के संशोधन पर APPL नीति के बारे में कामगारों को कर्मचारी परिषदों के माध्यम से पर्याप्त रूप से सूचित किया जाना चाहिए	स्थायी कर्मचारियों के आश्रितों को चिकित्सा लाभ प्रदान करने की प्रणाली लागू कर दी गई है	APPL ने बताया कि यह नीति 28 मार्च, 2014 को अधिसूचित की गई थी और मार्च 2016 की लक्षित तारीख तक पूरा कर लिया गया था।	मार्च 2016
14	डॉक्टर की उपलब्धता अनुसूची/रोस्टर तैयार किया जाए और सभी कामगारों को सूचित किया जाए	एस्टेट के अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं में एस्टेट के डॉक्टरों की उपस्थिति और यात्राओं की निगरानी के लिए एक प्रणाली स्थापित की गई है	इसकी मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निगरानी की जाती है और जब एस्टेट चिकित्सा अधिकारी वार्षिक छुट्टी पर होता है तो दौरा चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक चिकित्सा रजिस्टर रखा जाता है। स्वास्थ्य सहायक द्वारा कामगारों को डॉक्टर रोस्टर के बारे में सूचित किया जाता है।	मार्च 2017

15	ABITA और DBITA के साथ, अलग-अलग एस्टेट के एस्टेट डॉक्टरों के लिए एक वार्षिक सेमिनार आयोजित किया जा सकता है। इन मीटिंगों में बेहतरीन मामला विधि को साझा किया जा सकता है। एस्टेट के कामगारों के बीच आम बीमारियों पर विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से डॉक्टरों के कौशल को बढ़ाया जाना चाहिए।	एस्टेट डॉक्टरों के लिए ABITA और DBITA के समन्वय में संबंधित विषयों पर चिकित्सा सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। चिकित्सा अधिकारियों को रिफ्रेशर ट्रेनिंग के लिए नामित किया जा रहा है।	ABITA और DBITA द्वारा उन मेडिकल सेमिनारों की संख्या, जिसमें एस्टेट डॉक्टरों द्वारा भाग लिया गया है, शून्य है। 8 एस्टेट डॉक्टरों ने रिफ्रेशर प्रशिक्षण में भाग लिया।	जारी
स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा से संबंधित प्राथमिकता कार्रवाई				
16	सभी घरों में स्वैच वाटर फिल्टर की व्यवस्था।	7 एस्टेटों में 3,371 घरों को प्रदान किया गया।यह चरणबद्ध तरीके से प्रदान किया जाएगा।	7 चाय एस्टेटों को पानी फिल्टर योजना द्वारा कवर किया जाता है। 3,371 घरों को पानी फिल्टर योजना द्वारा कवर किया जाता है।वित्त वर्ष 17-18 के दौरान शून्य घरों को कवर किया गया। मार्च 2019 तक अपडेट किए जाने वाले कार्यवाही मद के पूरा होने की लक्ष्य तिथि।	मार्च 2018
17	प्रत्येक घर को एक बाथरूम प्रदान करें।	11,823 इकाइयों की कुल कमी में से, पिछले 2 वर्षों में 3,775 नए बाथरूमों का निर्माण किया गया। - अन्य 4,000 के निर्माण की योजना बनाई जा रही है।	अब तक 5,409 बाथरूमों का निर्माण किया गया वित्त वर्ष 17-18 में 1,253 बाथरूम निर्माणाधीन हैं	मार्च 2019
18	सभी कामगार कॉलोनियों में बिना सीमेंट वाली नालियों की सफाई।	एस्टेट में लगभग 2 मिलियन रनिंग फुट नालियाँ हैं जिन्हें साफ किया गया है।	इस वर्ष 1.1 मिलियन फुट (माप इकाई) नालों की सफाई की गई है।	मार्च 2017
19	सभी कामगार कॉलोनियों में बिना सीमेंट वाली नालियों का निर्माण।	यह चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।	अब तक 26,314 फुट का निर्माण किया गया वित्त वर्ष 17-18 में 25,000 फुट निर्माणाधीन हैं	मार्च 2019
20	सभी कर्मचारियों को कामगार कॉलोनियों में सफाई और स्वच्छता की स्थिति बनाए रखने पर प्रशिक्षण और जागरूकता।	यह कर्मचारी जुड़ाव परिषद, महिला मंडल, स्वास्थ्य क्लीनिक और स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे विभिन्न मंचों के माध्यम से जारी प्रक्रिया है। ज्यादातर कर्मचारियों को कवर किया गया है।	295 प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम किए गए। इन प्रशिक्षण सत्रों में 11,436 कर्मचारी कवर किए गए।	मार्च 2017 और हर साल रिफ्रेशर
21	पोषण संबंधी कमियों पर आंशिक रूप से ध्यान देने के लिए प्रत्येक कामगार द्वारा रसोई बगीचा बनाए जाने को सक्षम करना और अन्य उपाय।	40 बाल स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को बाल पोषण पर एक विशेष रिफ्रेशर कोर्स के लिए भेजा गया है। क्रेचों और अस्पतालों के लिए नए पोषण आहार चार्ट लागू कर दिए गए हैं। कैलोरी मान को 400 KCAL से संशोधित करने 700 KCAL कर दिया गया है। सभी एस्टेटों पर प्रासंगिक विषयों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।	अब तक 40 बाल स्वास्थ्य स्वयंसेवकों ने रिफ्रेशर प्रशिक्षण प्रदान किया है।	मार्च 2018
22	सभी घरों में रसोई की व्यवस्था/सुधार और धुआं रहित चूल्हे की व्यवस्था।	2,570 धुआं रहित चूल्हे उपलब्ध कराए गए। 259 नई रसोइयों का निर्माण। चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है।	अब तक 366 रसोइयों का निर्माण किया गया।	मार्च 2019
बुनियादी ढांचे में सुधार				

23	बोरजन को छोड़कर सभी एस्टेटों में उपलब्ध आवासों की कमी को पूरा करने के लिए बोरजन को छोड़कर सभी एस्टेटों में नए घरों का निर्माण करें (परिणाम-स्वरूप घरों में 5% की कमी का एक हिस्सा बंद हो जाएगा)।	कुल 819 घर बनाए जाने की आवश्यकता में से में से 205 नए मकान बनाए गए। शेष अगले 5 वर्षों में बनाए जाएंगे। दो वर्षों में प्रगति की समीक्षा करें और बिजली की आपूर्ति के लिए असम पॉवर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड (APDCL) और एस्टेट प्रबंधन को फिर से व्यवस्थित करें।	अब तक 113 घरों का निर्माण किया गया। वित्त वर्ष 17-18 में 13 नए घरों का निर्माण किया गया।	मार्च 2022
24	5 वर्षों में लगभग 309 घरों की कमी को पूरा करने के लिए बोरजन एस्टेट के लिए, वित्तीय और आवश्यक अन्य संसाधनों का विवरण सहित एक विस्तृत वर्ष-दर-वर्ष घर निर्माण योजना तैयार करें।	योजना विकसित की जानी है।	मार्च 2017 तक 26 घरों का निर्माण किया गया। अप्रैल 2018 के भीतर 19 घरों का निर्माण पूरा हो जाएगा। शेष कमी को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।	मार्च 2017
25	दो साल के लिए ऊपर तैयार योजना के अनुसार बोरजन में नए घरों का निर्माण और प्रगति के आधार पर योजना को फिर से व्यवस्थित करना	FY2017 में कुल 309 घरों में से 26 नए घर बनाए जा रहे हैं। मार्च 2017 तक 283 बच जाएंगे।	अब तक 66 घरों का निर्माण किया गया। FY17-18 में 10 घर बनाए गए।	मार्च 2019
26	सभी एस्टेटों में प्रमुख/पूंजी मरम्मत की आवश्यकता के रूप में पहचाने गए सभी मौजूदा मकानों में से कम से कम 50% की मरम्मत हाटीगोर और माजुली में विकसित किए गए मॉडल घरों के मानकों के अनुरूप करें।	कुल 8,712 घरों में से 1,843 घरों की मरम्मत की गई। मरम्मत कार्यक्रम का APPL के बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष मूल्यांकन किया जाएगा।	अब तक 1,916 घरों की मरम्मत की गई। 170 घरों की मरम्मत चल रही है।	मार्च 2019
27	सभी एस्टेटों में सभी मौजूदा घरों की हाटीगोर और माजुली में विकसित किए गए मॉडल घरों के मानकों पर मरम्मत पूरी करें।	कुल 8,712 घरों में से 1,843 घरों की मरम्मत की गई। मरम्मत कार्यक्रम का APPL के बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष मूल्यांकन किया जाएगा।	अब तक 1,916 घरों की मरम्मत की गई।	मार्च 2022
28	प्रत्येक घर में एक पाइप से आने वाले पानी का स्टैंडपाइप उपलब्ध कराएं।	21 एस्टेटों के लिए कामगारों के आवास के लिए पाइप से आने वाला पानी उपलब्ध कराने का सारा बुनियादी ढांचा स्थापित किया जाएगा। 3 एस्टेटों में प्रायोगिक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है।	हाटीगोर, भेलागुरी और डेबरापारा में जलपूर्ति उन्नतीकरण कार्य किया गया है। स्टैंड पाइप पानी के कनेक्शन के साथ 526 नए पानी के बिंदु कामगारों के घरों को दिए गए हैं।	मार्च 2019
29	सभी बागानों में क्लस्टर मीटर के साथ-साथ व्यक्तिगत मीटर लागू करें।	18 एस्टेटों में व्यक्तिगत मीटर पूरी हो चुका है (3 एस्टेटों में बाकी है)। बाकी एस्टेटों में निष्पादन के लिए अधिकारियों के साथ बात की जा रही है। कामगार समिति के बीच सहमति ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं,	21 एस्टेट और चुबवा एस्टेट का एक प्रभाग - पवई, नाहोरटोली, अचाबाम, नामरूप, टेओक, काकाजन, भेलागुरी, बोरजन, डिफ्लो, हाथीकुली, सग्मूटिया, केलीडेन, नोनोई, नाहोरानी, लामाबारी, माजुली, हाटीगोर, दमदीम, रंगामुटी, बाटाबारी, नोवेरा नड्डी 15,523 घरों को व्यक्तिगत मीटर प्रदान किए गए हैं 1,839 घरों में वित्त वर्ष 17-18 के अंत में व्यक्तिगत मीटर नहीं हैं	मार्च 2018

30	सभी बागानों में सरकारी बिजली बोर्डों से आवासीय दरों पर बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए।	15,536 कामगारों के क्वार्टरों/घरों के लिए राज्य सरकार द्वारा ली जाने वाली विशेष घरेलू दरों के अनुसार बिलिंग की जा रही है।	रिपोर्टिंग अवधि में शून्य संख्या में घरों को बिजली के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं सरकार द्वारा बिजली के लिए प्रति यूनिट रू 3 का शुल्क लिया जाता है	मार्च 2017
कामगारों के रहने और काम करने की परिस्थितियों की प्रबंधन प्रणाली का अपग्रेड				
31	APPL प्रत्येक एस्टेट में एस्टेट कर्मचारी परिषद का गठन कर सकता है और अन्य मुद्दों के साथ-साथ कल्याण और स्वास्थ्य और स्वच्छता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने, और उठाए गए मुद्दों के निवारण का हिसाब रखने के लिए प्रक्रियाओं को मजबूत करने, लंबे समय से लंबित आवास और/या कामगार आवास बुनियादी ढांचे के अपग्रेड की चिंताओं पर चर्चा करने, कार्य योजना के तहत कंपनी द्वारा लागू किए जा रहे उपायों की प्रभावशीलता पर चर्चा करने, और पूरे कामगार समुदाय के साथ EEC विचार-विमर्श और निर्णयों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए महीने में कम से कम एक बार मीटिंग कर सकता है।	सभी बागानों में कार्रवाई की गई:सभी कार्य क्षेत्रों, 50% महिला सदस्यों, युनियन के प्रतिनिधियों, पूरे प्रबंधन की भागीदारी के साथ EECs का पुनर्गठन किया जाता है।एस्टेट प्रदर्शन, समुदाय और कामगार मुद्दों, समाधान तलाशने में कामगारों की भागीदारी आदि पर चर्चा की गई। लागूकरण से पहले सभी नई पहलों पर चर्चा की गई।प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त उपाय लागू किए जाएंगे।	*APPL ने इस कार्यवाही मद पर अतिरिक्त रिपोर्टिंग प्रदान नहीं की है।*	मार्च 2017
32	APPL में प्रमाणीकरण से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित एक समर्पित व्यक्ति होना चाहिए।	प्रोजेक्ट उन्नती का लागूकरण APPL में एक समर्पित टीम की जिम्मेदारी है। APPL बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा प्रत्येक बोर्ड मीटिंग में और साथ ही संचालन प्रबंधन की आंतरिक साप्ताहिक समीक्षाओं में इसकी बारीकी से निगरानी और समीक्षा की जाती है।	2014 से, एक वरिष्ठ महाप्रबंधक और एक वरिष्ठ प्रबंधक प्रमाणीकरण नियुक्त किया गया।	मार्च 2015 और जारी
33	ट्रस्टी (Trustea) सहित विभिन्न मानकों को एकीकृत करने के माध्यम से सभी APPL बागानों के अनुपालन के लिए एक सरल, आसानी से समझ आने वाली गाइड तैयार किया जाए।	APPL ने एक आईटी-आधारित मानक विकसित किया है जो 11 अंतर्राष्ट्रीय मानकों की आवश्यकताओं को एकीकृत करता है - पहली बार इस तरह के टूल को चाय उद्योग के लिए बनाया और अनुकूलित किया गया था।	APSITE प्रशिक्षण चल रहा है। शुरूआत दिसंबर 17 से की जाएगी। 3 साइटों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा हो गया है। पूर्ण शुरूआत अक्तूबर 17 के भीतर पूरा होने की उम्मीद है।	मार्च 2017 में 3 एस्टेटों में नमूना और अक्तूबर 2017 तक पूर्ण शुरूआत

34	इस कार्य योजना में संदर्भित विभिन्न कामगार कल्याण उपायों के लिए उपलब्ध बजटीय संसाधन बढ़ाएँ।	वर्ष 2011-12 से 2016-17 के कल्याण बजट में लगभग 150% की वृद्धि हुई है। बुनियादी ढांचे के अपग्रेड के लिए पर्याप्त बजट के प्रावधान सहित दो साल का त्वरित कार्यक्रम विकसित किया जाएगा और मार्च 2019 तक लागू किया जाएगा, जिसमें # 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 में दर्शाए गए कार्य आएंगे। तब तक प्राप्त प्रगति के आधार पर मार्च 2019 में इस योजना को फिर से व्यवस्थित किया जाएगा।	FY17-18 में रुपए 30 करोड़ (US$4.5 मिलियन)।	विचाराधीन
35	कई बागानों में स्थापित उपयोगकर्ता समितियों को ऊर्जा बचत की अच्छी प्रथाओं से जोड़ने और प्रशिक्षित किए जाने की ज़रूरत है।	उपयोगकर्ता समितियों के साथ-साथ EEC बैठकों में ऊर्जा बचत की अच्छी प्रथाओं पर चर्चा की गई है। यह एक जारी प्रक्रिया है। कामगारों को CFL लैंपों पर बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सोलर लैंप अब तक प्रदान नहीं किए गए हैं और यह एक इन-हाउस प्रोजेक्ट है	सभी 25 एस्टेटों की सक्रिय उपयोगकर्ता समितियाँ हैं।-EEC की बैठक के साथ-साथ उपयोगकर्ता समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं और बैठक में ऊर्जा बचत की अच्छी प्रथाओं पर चर्चा की जाती है।	मार्च 2017 और जारी
36	युवा लड़कियों का प्रवासन - शहरों में उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों, उनके अधिकारों, नियमों और शर्तों, और सबसे महत्वपूर्ण, किसी बड़े शहर में रहने की कठिनाइयों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए पुस्तिका और/या स्थानीय भाषा में एक वीडियो जैसे उपकरण तैयार किए जाएं। चाय बागानों में युवाओं की काउंसलिंग करने के लिए किसी गैर-सरकारी संगठन के साथ संधि वांछनीय होगी।	TGB, सम में चाय समुदायों में दसियों हज़ार बच्चों के लिए अवसरों में सुधार करने और तस्करी और दुरुपयोग के लिए उनकी कमज़ोरी को कम करने के लिए, हाल ही में UNICEF और ETP द्वारा घोषित प्रोजेक्ट के फंडिंग भागीदारों में से एक है। तीन साल का कार्यक्रम शुरू में असम के तीन जिलों में 100 से अधिक एस्टेटों में 350 समुदायों के साथ काम करेगा। APPL के 14 एस्टेटों में किशोर क्लब (मुस्कान क्लब) बनाए गए हैं और दिसंबर 2014 तक बाकी की एस्टेटों में भी बन जाएंगे। इनमें से एक क्लब को शुरू में UNICEF द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। प्रशिक्षित स्वयंसेवक अब शहरी प्रवास और तस्करी, बाल विवाह, बालिका शिक्षा आदि के क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने के लिए अन्य एस्टेटों में क्लब के सदस्यों को प्रशिक्षित कर रहे हैं।	27 मुस्कान क्लब स्थापित किए गए। 55 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। एस्टेट में जागरूकता कार्यक्रम प्रदान करने और इस प्रवास के संबंध में कामगारों और उनके परिवारों को संवेदनशील बनाने के लिए ADWR NGO को शामिल किया गया था। हर हफ्ते लाइन चौकीदार के साथ प्रबंधन द्वारा लोगों की आवाजाही और बातचीत की निगरानी के लिए IN/OUT रजिस्टर। 3 एस्टेटों को सुरक्षित प्रवास प्रोजेक्ट के तहत कवर किया गया। तब तक जागरूकता अभियान और सुरक्षित प्रवासन प्रोजेक्ट में 1,073 किशोरों ने को कवर किया गया (वित्तीय वर्ष 17-18 में 369)।	मार्च 2015 और जारी

37	ESOP, वित्तीय साक्षरता, शेयर कार्यक्रम प्रक्रियाओं और कार्य विधियों पर कामगार शिक्षा।	सभी चाय एस्टेटों में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। टाटा एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड और CRISIL के साथ मिलकर कामगारों को बचत और "निवेश के साथ-साथ शेयरहोल्डिंग कार्यक्रम के बारे में शिक्षित किया जाता है।APPL HR टीम द्वारा एक परस्पर संवादात्मक सत्र के माध्यम से सभी एस्टेटों में कामगार शेयरधारकों को शेयर स्कीम और डिविडेंड भुगतान के बारे समझाया गया था।शेयर ऋण वापिसी भुगतानों और कमाए गए डिविडेंड को स्पष्ट ढंग से इंगित करने के लिए वेतन पर्ची के प्रारूप को संशोधित किया गया है।डिविडेंड के लिए सभी शेयरधारकों को अलग सूचना देने वाली पर्ची भेजी जाती है।वार्षिक वित्तीय प्रदर्शन के निर्धारण के बाद शेयरों का मूल्यांकन किया जाए, और निवेश की समझ बढ़ाने के लिए शेयरधारकों को वार्षिक आधार पर नेट एसेट वैल्यू (NAV) के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। यह किसी भी शेयरधारक द्वारा पूछे जाने पर ज़रूरत के आधार पर साझा किया जाता है।एस्टेट के स्तर पर समेकित निकासी और डिविडेंड के वितरण को सक्षम करने की एक प्रणाली की योजना बनाई जा रही है और इसे एक राष्ट्रीय बैंक और एक गैर सरकारी संगठन के साथ तैयार किया जा रहा है। इससे शेयरहोल्डिंग कामगारों द्वारा डिविडेंड निकासी में आसानी होगी। यह प्रयोग एक एस्टेट पर शुरू किया गया है।शेयरधारक कामगारों तक बैंकिंग पहुंच का विस्तार करने के लिए बैंकिंग पत्राचार के माध्यम से दरवाज़े पर बैंकिंग सेवाओं के प्रावधान का पता लगाया जा रहा है।शेयरहोल्डिंग कामगारों की निर्णय लेने की शक्तियों को बढ़ाने के लिए, एक शेयर निकास विकल्प पर विचार किया जा रहा है और APPL बोर्ड के सामने विचार के लिए रखा गया है।	*APPL ने इस कार्यवाही मद पर अतिरिक्त रिपोर्टिंग प्रदान नहीं की है।*	मार्च 2017 और वार्षिक रिफ्रेशर
38	मछली पालन कार्यक्रम से प्रभावित होने वाले कामगारों को सभी फ्रिंज लाभ प्रदान किए जाएं या सभी फ्रिंज लाभों के साथ स्थायी कामगार बनाया जाए या गैर-चाय कृषि गतिविधियों के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित न्यूनतम मजदूरी पर रोजगार के लिए नियमित किया जाना चाहिए।	संबंधित कामगारों को वैकल्पिक भूमि के साथ या वैकल्पिक परिवार के सदस्य को स्थायी रोजगार के प्रावधान के साथ मुआवजा दिया जाता है।	20 व्यक्तियों को मछली पालन में स्थायी रोजगार प्रदान किया गया 23 व्यक्तियों को संचालन में स्थायी रोजगार प्रदान किया गया	मार्च 2017

39	आवास और बुनियादी ढांचे की शिकायत निवारण प्रक्रिया को मज़बूत करें।	सभी एस्टेटों में एक समान निवारण प्रणाली लागू की गई है, जिसमें हर शिकायत को एक अद्वितीय संख्या के साथ लॉग किया जाता है औरसमय रेखाओं के साथ कार्रवाइयां दर्ज की जाती हैं।निवारण में देरी के मामले में शिकायतकर्ता को समय-समय पर ताज़ा जानकारी प्रदान करने के लिए अतिरिक्त प्रक्रियाएं रखी जाएंगी।तीसरे पक्ष के सर्वेक्षण/ऑडिट प्रक्रिया (नीचे देखें) के हिस्से के रूप में शिकायत तंत्र के संचालन के लिए कामगार धारणाएं भी व्यक्त की जाएंगी।	5082 शिकायतों को संभाला गया।1987 शिकायतें अनसुनी रह गईं।शिकायत पर ध्यान देने के लिए 1 सप्ताह का औसत समय।	मार्च 2017
अन्य कार्रवाइयां				
1	APPL उपरोक्त ड्राफ्ट कार्य योजना का प्रचार करेगा और प्रस्तावित प्राथमिकताओं पर कामगारों से फीडबैक प्राप्त करेगा।	कामगारों के साथ परामर्श उचित तंत्र (जैसे, कर्मचारी जुड़ाव परिषदों और अन्य उपयुक्त तंत्र) के माध्यम से किया जाएगा।	APPL ने बताया कि मसौदा कार्य योजना को एस्टेट कर्मचारी परिषदों के माध्यम से सभी एस्टेटों में प्रचारित किया गया था।	नवंबर 2016
2	TGBL और IFC एक वार्षिक ऑडिट और कामगार धारणा सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए तीसरे पक्ष को शामिल करेंगे: (a) प्रोजेक्ट उन्नती, (b) लागू किए गए या प्रस्तावित अन्य सुधार (c) वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम और कर्मचारी हिस्सेदारी योजना पर जागरूकता प्रशिक्षण जो लागूकरण की स्थिति को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए APPL द्वारा किए गए हैं।		*APPL ने इस कार्यवाही मद पर अतिरिक्त रिपोर्टिंग प्रदान नहीं की है।*	नवंबर/दिसंबर 2016

3	तीसरा पक्ष 25 एस्टेटों के कामगारों के उचित बड़े और प्रतिनिधिक नमूने के आकार का उपयोग करके एक वार्षिक ऑडिट और अनाम कर्मचारी धारणा सर्वेक्षण करेगा। सर्वेक्षण के परिणाम कार्यबल के साथ साझा किए जाएंगे और किए जा रहे सुधारों के संबंध में APPL प्रबंधन को कर्मचारियों की धारणा और किस अतिरिक्त पहल की ज़रूरत हो सकती है, के बारे में सूचित करने के लिए काम करेंगे। तीसरा पक्ष नमूनाकरण पद्धति, नमूना आकार और सर्वेक्षण उपकरण तैयार करने के लिए मानकीकृत और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सामाजिक और धारणा सर्वेक्षण प्रक्रियाओं का पालन करेगा। इसमें सर्वेक्षण सामग्री के बारे में बताने में सहायता के लिए प्रमुख हितधारक समूहों के साथ परामर्श शामिल होंगे।		*APPL ने इस कार्यवाही मद पर अतिरिक्त रिपोर्टिंग प्रदान नहीं की है।*	पहला ऑडिट और सर्वेक्षण दिसंबर 2016 के अंत से पहले और बाद के ऑडिट और सर्वेक्षण संबंधित वर्षों के दिसंबर के अंत से पहले।
4	ऊपर (2) और (3) के निष्कर्षों के आधार पर, तीसरा पक्ष APPL प्रबंधन, कर्मचारी जुड़ाव परिषदों, TGBL, और IFC के साथ परामर्श से आगे के उपक्रमों के लिए सुधार के अवसरों की पहचान करेगा और एक कार्य योजना विकसित करेगा। इस कार्य योजना को CAO जांच और IFC के स्वयं के पर्यवेक्षण निष्कर्षों से सूचित किया जाएगा, और APPL के साथ सहमत IFC के ESAP के लिए एक परिशिष्ट बन जाएगा। सहमत कार्यों को कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा और कर्मचारियों के साथ सामूहीकरण किया जाएगा।		*APPL ने इस कार्यवाही मद पर अतिरिक्त रिपोर्टिंग प्रदान नहीं की है।*	पहली कार्य योजना को फरवरी 2017 तक और बाद में कार्य योजना को संबंधित वर्षों के फरवरी के अंत से पहले अंतिम रूप दिया जाएगा।
5	कार्य योजना/ESAP परिशिष्ट पर APPL की बोर्ड बैठक में चर्चा की जाएगी और अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले उचित बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी।		*APPL ने इस कार्यवाही मद पर अतिरिक्त रिपोर्टिंग प्रदान नहीं की है।*	प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम बैठक

अनुलग्नक B - सॉलिडारिडाड के 2014 और 2017 के निष्कर्षों का सारांश

समीक्षा किया गया मुद्दा	सॉलिडारिडाड 2014	सॉलिडारिडाड 2017
	दस चाय एस्टेटों की समीक्षा के आधार पर तैयार किए गए।	*दो चाय एस्टेटों की समीक्षा के आधार पर तैयार किए गए: नाहोरानी और नामरूप*
मज़दूरी से संबंधित मुद्दे		
संघ बनाने की स्वतंत्रता	APPL प्रत्येक उस एस्टेट में एस्टेट कर्मचारी परिषद का गठन कर सकता है, जहाँ प्रत्येक कामगार लाइन से पुरुषों और महिलाओं की समान संख्या भाग ले सके। इस परिषद को संगठित व्यापार युनियन के बदल के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। कर्मचारी परिषद को महीने में कम से कम एक बार मिलना चाहिए और कल्याण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और अन्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए।	एस्टेट प्रबंधन और कामगारों का प्रतिनिधित्व करते हुए एस्टेट कर्मचारी परिषदों (EEC) की स्थापना, जो कर्मचारी कल्याण, स्वास्थ्य और स्वच्छता, बुनियादी ढाँचे के विकास और शिकायत निवारण पर चर्चा करने के लिए महीने में एक बार मीटिंग करेगी। लेकिन, सुधार के अवसर मौजूद हैं।
बाल मज़दूरी से लाभ उठाने का आरोप		बाल मज़दूरी के कार्य से APPL के लाभ उठाने का कोई प्रमाण नहीं। APPL के चाय एस्टेटों पर बाल मज़दूरी की कोई आवश्यकता नहीं है।
मछली पालन प्रोजेक्ट के परिणाम-स्वरूप आर्थिक विस्थापन का आरोप	हमारे द्वारा सर्वेक्षण किए गए 10 बागानों में इसके गैर-चाय कृषि कार्यक्रम के अनुसरण में APPL के सामने आए किसी भी कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। कुछ एस्टेटों में कामगारों को अनुबंध दिए गए थे, जो वास्तव में "अनंत काल तक नियमित अस्थायी रोजगार" जैसे वाक्यांशों का गलत इस्तेमाल करते थे। या तो, इन कामगारों को नियमित किया जाता है और सभी फ्रिंज लाभों के साथ स्थायी कामगार बनाया जाता है या उन्हें सरकार द्वारा गैर-चाय कृषि गतिविधियों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जा सकती है।	APPL की मछली पालन प्रोजेक्ट के परिणाम-स्वरूप आर्थिक विस्थापन को प्रभावित व्यक्तियों के लिए स्थायी नौकरियों के प्रावधान या भूमि की बदली के माध्यम से हल किया गया था ।
कामगारों का पलायन	युवा लड़के और लड़कियां दोनों बड़े भारतीय शहरों में नौकरियों के लिए जा रहे हैं। शहरी प्रवास असम के कुछ हिस्सों में एक सामाजिक चुनौती है और प्रवास के जोखिमों के बारे में जागरूकता की कमी, इस समस्या में योगदान करती है। एक जागरूकता कार्यक्रम विकसित करने की सलाह दी गई।	दोनों चाय एस्टेटों से प्रवासन में वृद्धि हुई है। APPL ने प्रवासन के जोखिम के बारे में जागरूकता अभियान लागू किया है।
स्वास्थ्य और कार्यबल की सुरक्षा		
स्वास्थ्य और कार्यबल की सुरक्षा	विभिन्न APPL एस्टेटों में इस्तेमाल किए जाते PPE पर्याप्त गुणवत्ता के नहीं है और कामगारों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। APPL को उच्च गुणवत्ता और साथ ही स्थानीय रूप से उपयुक्त PPE की खरीद में निवेश करने की ज़रूरत है, जिसे सभी एस्टेटों में मानकीकृत किया जा सकता है। वर्तमान में छिड़काव करने वालों को उनकी ड्यूटी से घुमाया नहीं जाता है और रसायनों के निरंतर संपर्क से बचने के लिए उन्हें हर तीन महीने में घुमाने की ज़रूरत होती है। वॉश स्टेशन प्रदान करने की ज़रूरत है।	सर्वेक्षण किए गए दो एस्टेटों में श्रेणी 1a और 1b कीटनाशकों को चरणबद्ध ढंग से समाप्त कर दिया गया है। कामगारों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किए गए, जिनका वे उपयोग कर रहे हैं। कीटनाशक का छिड़काव करने वालों की नियमित चिकित्सा जांच की जा रही है।
बुनियादी ढांचे का विकास		
आवास की कमी	कामगारों के लिए घरों में कुल मिलाकर 5% की कमी है।	क्लाइंट रिकॉर्ड ने आवास की कमी को दर्शाया

घरों की मरम्मतें	लगभग सभी एस्टेटों में घर की मरम्मतों के बारे में शिकायतों का एक बैकलॉग है। हालांकि, कुछ एस्टेटों पर तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़रूरत वाली अधिकांश मरम्मतें लीक हुई छतों, टूटी दीवारों या गायब दरवाजों और खिड़कियों के बारे में हैं।	2014 के बाद से दो सर्वेक्षण किए गए एस्टेटों में 238 घरों की मरम्मत की गई, जबकि 691 घरों को मरम्मत की आवश्यकता है
मरम्मत की गुणवत्ता और नियमितता		मरम्मतों को संतोषजनक तरीके से पूरा किया गया है। जहां मुद्दों को उठाया गया है, क्लाइंट समयबद्ध तरीके से मुद्दों का निवारण कर रहा है।
कंजरवेटरियां	कुल मिलाकर, एस्टेटों पर 137,508 लोगों के लिए 18,189 शौचालय उपलब्ध हैं। उपलब्ध कुल शौचालयों में से 40% का मरम्मत की ज़रूरत या पानी की कमी के कारण उपयोग नहीं किया जाता है। इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है।	क्लाइंट ने दो सर्वेक्षण किए गए एस्टेटों में सभी शौचालयों की मरम्मत करने के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश किया था और सेप्टिक टैंकों को साफ करने के लिए एक यांत्रिक ट्रक पेश किया था
नहाने की इकाइयाँ	कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, ज़रूरत में से केवल 23% नहाने के अहाते उपलब्ध हैं।	दो सर्वेक्षण किए गए एस्टेटों में 239 नहाने की इकाइयों का निर्माण किया गया, 953 की कमी मौजूद है
पानी के बिंदु	पीने के पानी की नियमित रूप से जांच की जाती है और इसे इस्टेट में साफ किया जाता है। हम चाय बागान के कामगारों के लिए सुरक्षित पेयजल के संबंध में स्वैच वाटर फिल्टर के साथ एक प्रोजेक्ट विकसित करने की सलाह देते हैं।	तीन घरों के लिए एक पानी के बिंदु की राष्ट्रीय आवश्यकता। नाहोरानी में, 75 जल प्लेटफार्मों की मरम्मत की गई है और 30 नए जल बिंदुओं का निर्माण किया गया है। नामरूप की सभी कॉलोनियां पाइप से आने वाले पानी से जुड़ी हैं।
बिजली	हाथीकुली और नाहोरानी में कुछ मज़दूर लाइनों को छोड़कर देखे गए अधिकांश एस्टेटों में क्लस्टर मीटर के साथ संयोजन में व्यक्तिगत मीटर सिस्टम का अनुसरण किया जा रहा है।	नामरूप में बिजली के व्यक्तिगत मीटर लागू किए गए थे। नाहोरानी अभी भी क्लस्टर मीटर पर चल रही है।
नालियों का निर्माण	अधिकांश एस्टेटों में नालियों को ठीक से सीमेंट नहीं किया गया है और ज्यादातर में पानी बाहर निकल रहा है। ऐसी परिस्थितियाँ एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम बन सकती हैं। APPL को चरणबद्ध तरीके से सीमेंटेड (पक्की) नालियों के निर्माण के लिए लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, तब तक कच्ची नालियों की मरम्मत की ज़रूरत है।	जबकि नालियों की सफाई की जाती है, डिजाइन अनुचित है। जल निकासी व्यवस्था में सुधार की ज़रूरत है
कर्मचारी शेयर कार्यक्रम		
शेयर बांटना	APPL प्रबंधन द्वारा कामगारों को APPL शेयर खरीदने के लिए मजबूर करने या जबरदस्ती करने का कोई सबूत नहीं था।	धारणा सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर, चाय कामगारों को एस्टेट प्रबंधन द्वारा शेयर कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया गया था
वेतन और डिविडेंड पर्ची		सभी चाय कामगारों को स्थानीय भाषा में वेतन पर्ची मिलती है
शेयर ट्रेडिंग		चाय कामगारों के पास शेयर सर्टीफिकेट नहीं हैं और न ही उन्हें इस बारे में बताया किया गया है कि अपने शेयर कैसे बेचने हैं
वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण	कामगारों को वित्तीय साक्षरता पर आगे शिक्षित करने की स्पष्ट ज़रूरत है ताकि वे अपने शेयरों के मूल्य, और इस बात को समझ सकें कि इससे उन्हें अपने जीवन की योजना बनाने में कैसे मदद मिल सकती है।	अब तक कामगारों को प्रदान किया गया वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं है।
स्वास्थ्य और पोषण		
चिकित्सा सेवाएं	पाया गया कि APPL एस्टेट में श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करता है। हालांकि, डॉक्टरों की उपस्थिति को बनाए रखने वाले सिस्टम-विशेष रूप से	डॉक्टर की उपस्थिति के लिए रोस्टर लागू किया गया और कामगारों को उपलब्धता के बारे में बताया गया।

	नियमित डॉक्टरों की छुट्टी की अवधि के दौरान अन्य एस्टेटों से आने वाले डॉक्टरों में सुधार की ज़रूरत है।	
स्वास्थ्य और सफ़ाई		नाहोरानी में कामगारों को धुआँ रहित चूल्हे और टाटा स्वैच वाटर फिल्टर दिए गए।
रसोई के बगीचे	चाय बागानों में कम पोषण के गंभीर स्तर, फिर भी जागरूकता का स्तर कम है	अपर्याप्त प्रगति दर्ज की गई।
अन्य मुद्दे		
कार्य योजना के लागूकरण के लिए समर्पित टीम	एक नया पद बनाने की ज़रूरत है जो APPL बागानों में स्थिरता के लागूकरण और प्रबंधन के लिए पूरी तरह से समर्पित हो।	कार्य योजना को लागू करने के लिए एक समिति स्थापित की गई। उनकी संदर्भ की शर्तें समीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं थीं
मसौदा कार्य योजना पर परामर्श		चाय एस्टेट प्रबंधन को कार्य योजना की पूरी जानकारी है। लेकिन, कामगार यह नहीं बता सके कि उनके पास कार्य योजना तक पहुंच है।
APSITE - सभी एस्टेटों के लिए APPL की पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली	APPL ने अपनी एस्टेट को एथिकल टी पार्टनरशिप मानक के और साथ ही SA 8000 मानक के तहत सत्यापित करने में निवेश किया है। इसके अलावा अन्य गुणवत्ता मानक हैं। हम सिफ़ारिश करते हैं कि सभी APPL बागानों द्वारा सभी मानकों के अनुपालन के लिए एक सरल आसानी से समझ आने वाली गाइड तैयार की जाए।	अस्पष्ट है कि APPL अपने पूरे सिस्टम में प्रबंधन प्रणाली को कैसे लागू करेगा।